



JHARKHAND JUDICIAL PRELIMINARY EXAM 2019

1. Choose the correct spelling.

- (a) Enciclopaedia
- (b) Encyclopaedia
- (c) Ancylopedia
- (d) Incyklopedia

Ans.(b)

**2. Which word is a personification in this sentence?
"Death lays its icy hands on Kings and Paupers alike"**

- (a) Hands
- (b) Kings
- (c) Death
- (d) Paupers

Ans.(c)

3. Choose the word closest in meaning to the underlined word in the sentence: "I sat next to a distinguished writer"

- (a) Different
- (b) Eminent
- (c) Common
- (d) Unknow

Ans.(b)

4. Choose the correct indirect form of the following sentence: He said to me, "Let us have some tea."

- (a) He said me to have some tea.
- (b) He proposed to me that we should have some tea
- (c) He told me to have some tea.
- (d) He asked to have some tea

Ans.(b)

5. Choose the tense form of the following sentence: "The patient had died when the doctor arrived."

- (a) past Tense
- (b) Present Perfect Tense
- (c) Past Perfect Tense
- (d) Past Perfect Continuous Tense

Ans.(c)

6. Orthopaedics is the branch of medicine concerned with

- (a) the study of human skin
- (b) the study of human nervous system
- (c) the study of human bones and muscles
- (d) the study of eyes and ears.

Ans.(c)

7. The word most opposite in meaning to the word "amateur" is.

- (a) Professional
- (b) clumsy
- (c) unskilled
- (d) talented

Ans.(a)

8. Choose the correct meaning of the underlined word in the following sentence: "Trespassers will be / निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का सही अर्थ चुनें: "अतिक्रमणकारी होंगे"

- (a) Harassed / परेशान किया गया
- (b) Punished unjustly अन्यायपूर्वक दंडित किया गया
- (c) Legal action will be taken against them / उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी
- (d) Oppressed / उत्पीड़ित

Ans.(c)

9. Choose the correct meaning of the underlined idiomatic phrase in the following sentence: "He was sent off on a wild goose chase to look for buried treasure."

- (a) Foolish unprofitable venture
- (b) Profitable adventure
- (c) Bird hunting
- (d) Treasure hunting

Ans.(a)

10. Choose the correct meaning of the underlined phrasal verb in the following sentence: "His evidence beans out the testimony of the accused."/ निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित फ़ार्सल क्रिया का सही अर्थ चुनें: "उसका साक्ष्य अभियुक्त की गवाही को उजागर करता है।"

- (a) Corroborates / पुष्टि करता है
- (b) Falsifies/ मिथ्याकरण करता है
- (c) Does not support / समर्थन नहीं करता
- (d) Contradicts/ विरोधाभास

Ans.(a)

11. Which one of the following is a "Tiger Resevel of Jharkhand? / निम्नलिखित में से कौन सा "झारखंड का टाइगर रिजर्व" है?

- (a) Betla / बेतला
- (b) Hazaribagh / हजारीबाग
- (c) Palamu / पलामू
- (d) Dalma / दलमा

Ans.(c)

12. Which on of the following classical dance forms is mainly associated with Andhra Pradesh ? / निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश से संबंधित है?

- (a) Bharatnatyam / भरतनाट्यम
- (b) Kathakali / कथकली
- (c) Kuchpudi / कुचपुडी





(d) Mohiniyattam / मोहिनीअट्टम

Ans.(c)

13. Under GST taxation framework, CGST means. / जीएसटी कराना ढांचे के तहत, सीजीएसटी का अर्थ है।

- (a) Customs Goods and Services Tax / सीमा शुल्क सामान और सेवा कर
- (b) Central Goods and Services Tax / केंद्रीय माल एवं सेवा कर
- (c) Combined Goods and Service Tax / संयुक्त माल एवं सेवा कर
- (d) None of the above. / उपरोक्त में से कोई नहीं।

Ans.(b)

14. Which of the following is a National Monument of India ? / निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय स्मारक है?

- (a) Red Fort / लाल किला
- (b) India Gate / इंडिया गेट
- (c) Rashtrapati Bhawan / राष्ट्रपति भवन
- (d) Qutub minar / कुतुब मीनार

Ans. (*)

15. Which one of the following Indian cities is known by the nickname of 'Deccan Queen'? / निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर 'डेक्कन क्वीन' के उपनाम से जाना जाता है?

- (a) Begaluru / बेंगलुरु
- (b) Pune / पुणे
- (c) Hyderabad / हैदराबाद
- (d) Chennai / चेन्नई

Ans.(b)

16. Who among the following is the first woman Chief Minister in post Independence period in India ? / भारत में स्वतंत्रता के बाद की पहली महिला मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन है?

- (a) Nandini Sapathy / नंदिनी सपथी
- (b) Shasikala Kadokar / शशिकला कडोकर
- (c) Sucheta Kriplani / सुचेता कृपलानी
- (d) Syeda Anwara Taimput / सैयदा अनवरा तैमपूत

Ans.(c)

17. Who among the following is the first Chief Election Commissioner of post Independence India ? / निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त है?

- (a) K.V.K. Sundaram / के.वी.के. सुंदरम
- (b) Sukumar Sen / सुकुमार सेन
- (c) S.P. Sen Verma / एस.पी. सेन वर्मा
- (d) Dr.Nagendra Singh / डॉ.नागेंद्र सिंह

Ans.(b)

18. Which of the following is/are the official language(s) of the International Court of Justice (ICJ) at the Hague ? / हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आधिकारिक भाषा है/हैं?

- (a) English and Dutch / अंग्रेजी और डच
- (b) English and German / अंग्रेजी और जर्मन
- (c) Only English / केवल अंग्रेजी
- (d) English and French / अंग्रेजी और फ्रेंच

Ans.(d)

19. 'International Yoga Day' is celebrated on / 'अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस' मनाया जाता है

- (a) 5th June / 5 जून
- (b) 8 March / 8 मार्च
- (c) 21 June / 21 जून
- (d) 16 July / 16 जुलाई

Ans.(c)

20. According to 2011 Census which of the following is least populous State of India? / 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है?

- (a) Mizoram / मिजोरम
- (b) Sikkim / सिक्किम
- (c) Arunachal Pradesh / अरुणाचल प्रदेश
- (d) Goa / गोवा

Ans. (b)

21. A foreign judgement. / एक विदेशी निर्णय

- (a) can never be conclusive. / कभी भी निश्चयक नहीं हो सकता।
- (b) can be conclusive as to any matter indirectly adjudicated upon between the same parties. / समान पक्षों के बीच अप्रत्यक्ष रूप से तय किए गए किसी भी मामले में निश्चयक हो सकता है।
- (c) Can be conclusive as to any matter directly adjudicated upon between the same parties if it has not been pronounced by a court of competent jurisdiction. / एक ही पक्ष के बीच सीधे तौर पर तय किए गए किसी भी मामले में निश्चयक हो सकता है यदि इसे सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा सुनाया नहीं गया है।
- (d) can be conclusive as to any matter directly adjudicated upon between the same parties if it has been pronounced by a court of competent jurisdiction. / एक ही पक्ष के बीच सीधे तौर पर निपटाए जाने वाले किसी भी मामले में निश्चयक हो सकता है यदि इसका निर्णय सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा सुनाया गया हो।

Ans.(d)

Linked Provisions:-

1. **Section 14-** Presumption as to foreign judgments.
2. **Section 86-** Presumption as to certified copies of foreign judicial records.(IEA)
3. **Section 366B-** Importation of girl from foreign country. (IPC)
4. **Section 290-** Execution of foreign commissions. (CR.P.C)

Explanation:- Section 13- when foreign judgment not conclusive- A foreign judgment shall be conclusive as to any matter thereby directly adjudicated upon

Linking Laws is a Professional Institute provide
AI based Smart Preparation for

Judicial Service Exams & other Law Related Exam in India

(UP PCS(J), RJS, MPCJ, CG PCS(J), DJS, BJS, APO, ADPO, JLO, APP etc.)



Scan this
QR Code to
Linking Laws BIODs

Linking Laws
Linking Laws Tansukh Sir
www.LinkingLaws.com
Get Subscription Now



between the same parties or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title except—

- where it has not been pronounced by a Court of competent jurisdiction;
- where it has not been given on the merits of the case;
- where it appears on the face of the proceedings to be founded on an incorrect view of international law or a refusal to recognise the law of india ;
- the judgment was obtained are opposed to natural justice;
- where it has been obtained by fraud;
- where it sustains a claim founded on a breach of any law in force.

लिंकिंग प्रावधान:-

- धारा 14-** विदेशी निर्णयों के बारे में उपधारणा।
- धारा 86-** विदेशी न्यायिक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों के बारे में उपधारणा (IEA)
- धारा 366बी-** विदेश से लड़की का आयात। (IPC)
- धारा 290 -** विदेशी कमीशन का निष्पादन

स्पष्टीकरण:- धारा 13- जब विदेशी निर्णय निर्णायक नहीं होता है - एक विदेशी निर्णय किसी भी मामले के संबंध में निर्णायक होगा, जो सीधे उन्हीं पार्टियों के बीच या उन पार्टियों के बीच होता है, जिनके तहत वे या उनमें से कोई एक ही शीर्षक के तहत मुकदमा चलाने का दावा करता है, सिवाय इसके कि-

- जहां इसे सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा सुनाया नहीं गया है;
- जहां यह मामले के गुण-दोष के आधार पर नहीं दिया गया है;
- जहां कार्यवाही के प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि यह अंतरराष्ट्रीय कानून के गलत दृष्टिकोण या भारत के कानून को मान्यता देने से इनकार पर आधारित है;
- जो निर्णय प्राप्त हुआ वह प्राकृतिक न्याय के विपरीत है;
- जहां इसे धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया है;
- जहां यह लागू किसी भी कानून के उल्लंघन पर आधारित दावा कायम करता है।

22. Which of the following is not sufficient casuse for granting adjournment ? / निम्नलिखित में से कौन सा स्थगन देने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है?

- Sickness of a party, his witness or his counsel / किसी पक्ष, उसके साक्षी या उसके वकील की बीमारी
- Non-examination of a witness present in the court. / न्यायालय में उपस्थित साक्षी से पूछताछ न करना।
- Reasonable time for preparation of a case / किसी मामले की तैयारी के लिए उचित समय
- Non- Service of summons / सम्मन की तामील न होना

Ans.(b)

Linked Provisions:-

- Order 17-** rule(1-3)- Adjournments.
- Section 289-** Adjournment of proceeding. (CR.P.C)
- Section 309-** Power to postpone or adjourn Proceedings.(CR.P.C)

Explanation:- Court may grant time and adjourn hearing-

- The Court may, if sufficient cause is shown, at any stage and may from time to time adjourn the hearing of the suit for reasons to be recorded in writing:
 - When the hearing of the suit has commenced, it shall be continued from day-to-day until all the witnesses in attendance have been examined.
 - No adjournment shall be granted at the request of a party, except where the circumstances are beyond the control of that party.
 - the fact that the pleader of a party is engaged in another Court, shall not be a ground for adjournment.
 - Where the illness of a pleader or his inability to conduct the case for any reason, other than his being engaged in another Court, is put forward as a ground for adjournment.
 - the Court may, if it thinks fit, record the statement of the witness and pass such Orders as it thinks fit dispensing with the examination-in-chief or cross-examination of the witness, as the case may be, by the party or his pleader not present or not ready as aforesaid.

लिंकिंग प्रावधान:-

- आदेश 17-** नियम(1-3)- स्थगन.
 - धारा 289-** कार्यवाही का स्थगन।(CRPC)
 - धारा 309-** कार्यवाही स्थगित या स्थगित करने की शक्ति।(CRPC)
- स्पष्टीकरण:-** न्यायालय समय दे सकता है और सुनवाई स्थगित कर सकता है-

- यदि पर्याप्त कारण दिखाया गया है, तो न्यायालय किसी भी स्तर पर मुकदमे की सुनवाई को समय-समय पर लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए स्थगित कर सकता है:
 - जब मुकदमे की सुनवाई शुरू हो गई है, तो यह दिन-प्रतिदिन तब तक जारी रहेगी जब तक कि उपस्थित सभी गवाहों की जांच नहीं हो जाती।
 - किसी पार्टी के अनुरोध पर कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा, सिवाय इसके कि परिस्थितियां उस पार्टी के नियंत्रण से बाहर हों।
 - यह तथ्य कि एक पक्ष का वकील दूसरे न्यायालय में कार्यरत है, स्थगन का आधार नहीं होगा।
 - जहां एक वकील की बीमारी या किसी अन्य न्यायालय में लगे होने के अलावा किसी भी कारण से मामले का संचालन करने में उसकी असमर्थता को स्थगन के आधार के रूप में सामने रखा जाता है।
 - न्यायालय, यदि वह उचित समझे, गवाह का कथन दर्ज कर सकता है और ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो वह गवाह की मुख्य परीक्षा या जिरह से छूट देना उचित समझे, जैसा भी मामला हो, पक्षकार या उसका वकील उपरोक्तानुसार उपस्थित नहीं है या तैयार नहीं है।





23. The Criminal Procedure Code, 1973 was last amended on / दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में आखिरी बार संशोधन किया गया था

- (a) 1 August, 2018 / 1 अगस्त, 2018
- (b) 6 August, 2018 / 6 अगस्त, 2018
- (c) 11 August, 2018 / 11 अगस्त, 2018
- (d) 16 August, 2018 / 16 अगस्त, 2018

Ans.(c)

Linked Provisions:-

- 1. **376AB** -Punishment for rape on woman under 12 yr(IPC)
- 2. **376DA** -Punishment for gang rape under 16 year.(IPC)
- 3. **376DB** - Punishment for gang rape under 12 Year.(IPC)
- 4. **Section 173**- Report of police officer on completion of investigation. (2).(CR.P.C)
- 5. **Section 374 (4)** - Appeals from convictions. (CR.P.C)
- 6. **Section 377(4)**- Appeal by the State Government against sentence.(CR.P.C)
- 7. **Section 438**- Anticipatory bail / 439-(1A)(CR.P.C)
- 8. **Section 53A**, Section 146 (IEA)

Explanation:- Criminal Law Amendment Bill 2018 provides to amend relevant sections of IPC, Cr.P.C. and POCSO Act and also enhanced the minimum sentence for the offence of rape including the age part.(11 August 2018).

लिंकिंग प्रावधान:-

- 1. **376एबी** -12 वर्ष से कम उम्र की महिला से बलात्कार के लिए सजा (आईपीसी)
- 2. **376डीए** - 16 साल से कम उम्र के सामूहिक बलात्कार के लिए सजा। (आईपीसी)
- 3. **376डीबी** - 12 साल से कम उम्र के सामूहिक बलात्कार के लिए सजा। (आईपीसी)
- 4. **धारा 173(2)**- जांच पूरी होने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट. (सी.आर.पी.सी.)
- 5. **धारा 374(4)**- दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील। (सी.आर.पी.सी.)
- 6. **धारा 377(4)**- सजा के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा अपील। (सीआर.पी.सी.)
- 7. **धारा 438**- अग्रिम जमानत /439-(1ए)(सी.आर.पी.सी.)
- 8. **धारा 53ए**, धारा 146 (आईईए)

स्पष्टीकरण:- आपराधिक कानून संशोधन विधेयक 2018 आईपीसी, सीआरपीसी की सुसंगत धाराओं में संशोधन करने का प्रावधान करता है। और POCSO अधिनियम और उम्र के हिस्से सहित बलात्कार के अपराध के लिए न्यूनतम सजा भी बढ़ा दी गई है। (11 अगस्त 2018)।

24. The Criminal Procedure Code, 1973 contains. / दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में सम्मिलित है।

- (a) 451 Sections / 451 धाराएं
- (b) 461 Sections / 461 धाराएं
- (c) 481 Sections / 481 धाराएं
- (d) 484 Sections / 484 धाराएं

Ans.(d)

Linked Provisions:-

- 1. effect date on **April 1, 1974.**
- 2. **Chapter 7A**- Reciprocal agreements (105A-105L) add in 1993.
- 3. **Chapter 21A** plea bargaining (265A-265L) add in 2006

Explanation:- Total Section 484 Total chapter – 37 .

लिंकिंग प्रावधान:-

- 1. प्रभाव तिथि **1 अप्रैल 1974.**
- 2. **अध्याय 7ए**- व्यक्तिकारी व्यवस्था (105ए-105एल) 1993 में जोड़े गए।
- 3. **अध्याय 21ए** सौदा अभिवाक (265ए-265एल) 2006 में जोड़ा गया

स्पष्टीकरण:- कुल धारा 484 कुल अध्याय – 37 .

25. The First Information Report can be quashed by the High Court on the ground of / प्रथम सूचना रिपोर्ट को उच्च न्यायालय द्वारा निम्न आधार पर रद्द किया जा सकता है

- (a) Parties having arrived at the settlement and no heinous offence was committed according to the charge-sheet./ दोनों पक्षों ने करार कर लिया है और आरोप-पत्र के अनुसार कोई जघन्य अपराध नहीं किया गया है।
- (b) parties having arrived at the settlement and heinous offence was committed according to the charge sheet / पक्षों ने करार कर लिया है और आरोप पत्र के अनुसार जघन्य अपराध किया गया है
- (c) parties having arrived at the settlement and serious financial fraud was committed according to the charge-sheet. / आरोप-पत्र के अनुसार पक्षों ने करार कर लिया है और आरोप पत्र के अनुसार गंभीर वित्तीय कपट की गई है।
- (d) without any ground. / बिना किसी आधार के।

Ans.(a)

Linked Provisions:- Section 151- Saving of inherent powers of Court.(CPC)

Explanation:- Section 482- High Court has the power to quash an FIR on the basis of compromise between the parties to the case. If the parties enter into a compromise with each other, they are required to file a joint petition before the court.

लिंकिंग प्रावधान:- धारा 151-उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की व्यवस्था |

स्पष्टीकरण:- धारा 482- उच्च न्यायालय के पास मामले के पक्षों के बीच समझौते के आधार पर एफआईआर को रद्द करने की शक्ति है। यदि पक्ष एक-दूसरे के साथ समझौता करते हैं, तो उन्हें न्यायालय के समक्ष एक संयुक्त याचिका दायर करने की आवश्यकता होती है।

26. A Magistrate may dispense with personal attendance of accused under/ एक मजिस्ट्रेट अभियुक्त की व्यक्तिगत उपसंज्ञाति से छूट दे सकता है

- (a) Section 204. CrPC / धारा 204 सीआरपीसी
- (b) Section 205. CrPC/ धारा 205 सीआरपीसी
- (c) Section 206. CIPC/ धारा 206 सीआईपीसी
- (d) Section 207. CrPC/ धारा 207 सीआरपीसी

Linking Laws is a Professional Institute provide

AI based Smart Preparation for

Judicial Service Exams & other Law Related Exam in India

(UP PCS(J), RJS, MPCJ, CG PCS(J), DJS, BJS, APO, ADPO, JLO, APP etc.)



Scan this
QR Code to
Linking Laws BIOs



Ans.(b)

Linked Provisions:-

- Section 160-** Police officer's power to require attendance of witnesses.
- Section 267** - Power to require attendance of prisoners.
- Section 284-** When attendance of witness may be dispensed with and commission issued.
- Section 256-** Non- appearance or death of complaint.
- Section 350-** Summary procedure for punishment for non-attendance by a witness in obedience to summons.

Explanation:- Section 205- Magistrate may dispense with personal attendance of accused.

- Whenever a Magistrate issues a summons, he may, if he sees reason so to do, dispense with the personal attendance of the accused and permit him to appear by his pleader.

लिंकिंग प्रावधान:-

- धारा 160-** गवाहों की उपस्थिति की आवश्यकता के लिए पुलिस अधिकारी की शक्ति।
- धारा 267** - कैदियों की उपस्थिति की आवश्यकता की शक्ति।
- धारा 284-** गवाह की उपस्थिति कब समाप्त की जा सकती है और कमीशन जारी किया जा सकता है।
- धारा 256-** परिवाद का उपस्थित न होना या मृत्यु होना।
- धारा 350-** किसी गवाह द्वारा सम्मन का पालन न करने पर दण्ड की संक्षिप्त प्रक्रिया।

स्पष्टीकरण:- धारा 205- मजिस्ट्रेट अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे सकता है।

- जब भी कोई मजिस्ट्रेट समन जारी करता है, तो वह, यदि उसे ऐसा करने का कारण दिखता है, तो आरोपी की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे सकता है और उसे अपने वकील द्वारा उपस्थित होने की अनुमति दे सकता है।

27. If the evidence is available about a person who appears to have committed an offence but his name is not mentioned in the charge-sheet as accused. / यदि किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में साक्ष्य उपलब्ध है जो प्रतीत होता है कि उसने अपराध किया है लेकिन उसका नाम आरोप-पत्र में आरोपी के रूप में उल्लेखित नहीं है।

- his name can be added by the Judicial Magistrate / उसका नाम न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जोड़ा जा सकता है
- his name cannot be added at this stage/ इस स्तर पर उनका नाम नहीं जोड़ा जा सकता है
- his name can be added by the High Court /उनका नाम उच्च न्यायालय द्वारा जोड़ा जा सकता है
- his name can be added by the Supreme Court./ उनका नाम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जोड़ा जा सकता है।

Ans.(a)

Linked Provisions:-

- Section 149-** Every member of unlawful assembly guilty of offence committed in prosecution of common object.(IPC)

- Section 253-**Conviction on plea of guilty in absence of accused in petty cases.

Case:- Hardee Singh v. State of Punjab (2014)- section 319 by Supreme Court can add the accused to the court at any stage.

Explanation:- Section 319

A person not named in the FIR or a person though named in the FIR but has not been charge-sheeted or a person who has been discharged can be summoned under Section 319 CrPC provided from the evidence it appears that such person can be tried along with the accused already facing trial.

लिंकिंग प्रावधान:-

- धारा 149-** गैरकानूनी सभा का प्रत्येक सदस्य सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किए गए अपराध का दोषी। (आईपीसी)
- धारा 253-**छोटे मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में दोष स्वीकार करने पर सजा।

मामला:- हरदी सिंह बनाम पंजाब राज्य (2014)- सुप्रीम कोर्ट द्वारा धारा 319 किसी भी स्तर पर आरोपी को न्यायालय में शामिल कर सकती है।

स्पष्टीकरण:- धारा 319

जिस व्यक्ति का नाम एफआईआर में नहीं है या जिस व्यक्ति का नाम एफआईआर में है, लेकिन उसके खिलाफ आरोप पत्र दायर नहीं किया गया है या जिस व्यक्ति को आरोपमुक्त कर दिया गया है, उसे सीआरपीसी की धारा 319 के तहत बुलाया जा सकता है, बशर्ते साक्ष्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है। आरोपी पहले से ही मुकदमे का सामना कर रहा है।

28. Which of the following statement is correct? / निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

- A police officer has the power to require attendance of witnesses under the age of 15 years before himself. / एक पुलिस अधिकारी को अपने सामने 15 वर्ष से कम उम्र के सक्षियों की उपस्थित करने की शक्ति है।
- A police officer has the power to require attendance of a woman witness before himself. / एक पुलिस अधिकारी को अपने सामने एक महिला साक्षी की उपस्थित करने की शक्ति है
- A police officer has the power to require attendance of witnesses above the age of 65 year before himself. / एक पुलिस अधिकारी को अपने सामने 65 वर्ष से अधिक आयु के सक्षियों की उपस्थित करने की शक्ति है।
- A police officer does not have the power to require attendance of witnesses who are mentally challenged before himself / एक पुलिस अधिकारी को उसके सामने उन सक्षियों की उपस्थित करने की शक्ति नहीं है जो मानसिक रूप से विकलांग हैं।

Ans.(d)

Linked Provisions:-



Scan this
QR Code to
Linking Laws BIODs




Linking Laws

Link Life with Law

☎ : 773 774 6465

www.LinkingLaws.com



Comprehension Detail All State Judiciary Exam



Scan this QR Code to
Enrol the Linking Course

**Click the state which you want to get all information
related judiciary exams.**



Scan this
QR Code to
Linking Laws BLOs

📱 🌐 📧 **Linking Laws**
Linking Laws Tansukh Sir
www.LinkingLaws.com
📧 Get Subscription Now

Linking Laws is a Professional Institute provide
AI based Smart Preparation for
Judicial Service Exams & other Law Related Exam in India
(UP PCS(J), RJS, MPCJ, CG PCS(J), DJS, BJS, APO, ADPO, JLO, APP etc.)



- Order 16 A-** Attendance of witnesses confined or detained in Prisons. (CPC)
- Chapter 22-** Attendance of persons confined or detained in prisons.
- Section 205-** Magistrate may dispense with personal attendance of accused.
- Section 267 -** Power to require attendance of prisoners.
- Section 284-** When attendance of witness may be dispensed with and commission issued.
- Section 256-** Non- appearance or death of complaint.
- Section 350-** Summary procedure for punishment for non-attendance by a witness in obedience to summons.

Explanation:- Section 160- A police officer does not have the power to require attendance of witnesses who are mentally challenged before himself. Provided that no male person under the age of fifteen years or above the age of sixty-five years or a woman or a mentally or physically disabled person shall be required to attend at any place other than the place in which such male person or woman resides.

लिंकिंग प्रावधान:-

- आदेश 16 ए-** जेलों में बंद या हिरासत में लिए गए गवाहों की उपस्थिति। (सीपीसी)
- अध्याय 22-** जेलों में बंद या निरुद्ध व्यक्तियों की उपस्थिति।
- धारा 205-** मजिस्ट्रेट अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे सकता है।
- धारा 267 -** कैदियों की उपस्थिति की आवश्यकता की शक्ति।
- धारा 284-** गवाह की उपस्थिति कब समाप्त की जा सकती है और कमीशन जारी किया जा सकता है।
- धारा 256-** शिकायत का उपस्थित न होना या मृत्यु होना।
- धारा 350-** किसी गवाह द्वारा सम्मन का पालन न करने पर दण्ड की संक्षिप्त प्रक्रिया।

स्पष्टीकरण:- धारा 160- एक पुलिस अधिकारी के पास उन साक्षी की उपस्थिति करने की शक्ति नहीं है जो उसके सामने मानसिक रूप से विकलांग हैं।

बशर्ते कि पंद्रह वर्ष से कम आयु या पैंसठ वर्ष से अधिक आयु के किसी भी पुरुष या किसी महिला या मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति को उस स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी जहां वह पुरुष या महिला रहती है।

- 29. When the inquiry or trial relates to an offence committed under Section 376, CrPC, the inquiry or trial shall be concluded within a period of/ जब जांच या विचारण धारा 376, सीआरपीसी के तहत किए गए अपराध से संबंधित हो, तो जांच या विचारण एक निश्चित अवधि के भीतर समाप्त किया जाएगा।**

- 4 weeks after the filing of charge sheet / आरोप पत्र दाखिल होने के 4 सप्ताह बाद
- 8 weeks after the filing of charge sheet / आरोप पत्र दाखिल होने के 8 सप्ताह बाद

- 2 months after the filing of charge sheet / आरोप पत्र दाखिल होने के 2 महीने बाद
- 4 months after the filing of charge sheet / आरोप पत्र दाखिल होने के 4 महीने बाद

Ans.(c)

Linked Provisions:-

- Section 173-** Report of police officer on completion of investigation. (Provision)
- Section 374-** Appeals for convictions.(4)
- Section 377-** appeal by the State Government against sentence. (4)

Explanation:- Section 309- Provided that when the inquiry or trial relates to an offence under section 376, section 376A, section 376AB, section 376B, section 376C or section 376D, section 376DA, section 376DB of the Indian Penal Code, the inquiry or trial shall be completed within a period of two months from the date of filing of the charge sheet.

लिंकिंग प्रावधान:-

- धारा 173-** अन्वेक्षण पूरी होने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट. (प्रावधान)
- धारा 374(4)-** दोषसिद्धि के लिए अपील।
- धारा 377(4)-** सजा के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा अपील।

स्पष्टीकरण:- धारा 309- परन्तु कि जब जांच या मुकदमा भारतीय दंड संहिता की धारा 376, धारा 376ए, धारा 376एबी, धारा 376बी, धारा 376सी या धारा 376डी, धारा 376डीए, धारा 376डीबी के तहत किसी अपराध से संबंधित हो, तो पूछताछ या आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर मुकदमा पूरा किया जाएगा।

- 30. Rule autrefois acquit or autrefois convict is contained in. / नियम ऑट्रैफॉइस एक्विट और ऑट्रैफॉइस कन्विक्ट दिया गया है।**

- Section 298. CrPC / धारा 298 सीआरपीसी
- Section 300. CrPC / धारा 300 सीआरपीसी
- Section 320. CrPC / धारा 320 सीआरपीसी
- Section 321. CrPC / धारा 321 सीआरपीसी

Ans.(b)

Linked Provisions:-

- Article 20(2)-** Protection in respect of conviction for offences.(Constitution of India)
- Section 11-** Res Judicata (CPC)
- Section 40-** Previous judgements relevant to bar a Second suit or trial.(IEA)

Explanation:- Section 300- Person once convicted or acquitted not to be tried for same offence(1)- A person who has once been tried by a Court of competent jurisdiction for an offence and convicted or acquitted of such offence shall, while such conviction or acquittal remains in force, not be liable to be tried again for the same offence, nor on the same facts for any other offence for which a different charge from the one made against him might have been made under sub-section (1) of section 221, or for which he might have been convicted under sub- section (2) thereof.





लिंकिंग प्रावधान:-

1. **अनुच्छेद 20(2)** – अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। (भारत का संविधान)
2. **धारा 11-** पूर्व न्याय (cpc)
3. **धारा 40-** दूसरे मुकदमे या मुकदमे पर रोक लगाने के लिए सुसंगत पिछले निर्णय। (IEA)

स्पष्टीकरण:- धारा 300- एक बार दोषी ठहराए जाने या बरी किए जाने पर व्यक्ति पर उसी अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाएगा (1)- एक व्यक्ति जिस पर एक बार किसी अपराध के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया गया हो और उसे ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो या बरी कर दिया गया हो, ऐसी सजा के दौरान उस पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। या दोषमुक्ति कायम रहती है, तो उसी अपराध के लिए दोबारा मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, न ही किसी अन्य अपराध के लिए समान तथ्यों पर, जिसके लिए उप-धारा (1) के तहत उसके खिलाफ लगाए गए आरोप से अलग आरोप लगाया जा सकता है। धारा 221, या जिसके लिए उसे उसकी उपधारा (2) के तहत दोषी ठहराया जा सकता था।

31. **Every person is under an obligation to give Information about the commission of the offence to the nearest Magistrate or police officer. / प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि वह अपराध घटित होने की सूचना निकटतम मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को दे।**

- (a) Offences in Section 115-120/ धारा 115-120 में अपराध
- (b) Offences in Section 121-126 / धारा 121-126 में अपराध
- (c) Offences in Section 127-132 / धारा 127-132 में अपराध
- (d) Offences in Section 132-140/ धारा 132-140 में अपराध

Ans.(b)

Linked Provisions:-

1. **Section 37-** Public when to assist Magistrates and police.
2. **Section 38-** Aid to person, other than police officer, executing warrant.
3. **Chapter – 4 B Aid to Magistrate & police (37-40).**
Explanation:- Section 39- Public to give Information of certain offences- (i) Sections 121 to 126 both inclusive and Section 130 (that is to say offences against the state specified in Chapter 6 of IPC) shall in the absence of any Reasonable excuse, the burden of proving which excuse shall lie upon the person so aware, forthwith give information to the nearest Magistrate or police officer of such commission or intention.

लिंकिंग प्रावधान:-

1. **धारा 37-** जनता को मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता कब करनी है।
2. **धारा 38-** वारंट निष्पादित करने वाले पुलिस अधिकारी के अलावा अन्य व्यक्ति को सहायता।
3. **अध्याय – 4 बी** मजिस्ट्रेट और पुलिस को सहायता (37-40)।

स्पष्टीकरण:- धारा 39- कुछ अपराधों की जानकारी सार्वजनिक करने के लिए- (i) धारा 121 से 126 दोनों सम्मिलित हैं और धारा 130 (अर्थात आईपीसी के अध्याय 6 में निर्दिष्ट राज्य के खिलाफ अपराध) किसी भी उचित बहाने के अभाव में होगी।, यह साबित करने का भार कि कौन सा बहाना इतना जागरूक व्यक्ति पर होगा, ऐसे आयोग या इरादे की जानकारी तुरंत निकटतम मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को दे।

32. **Which section of the CrPC involves the reciprocal arrangement to be made by the Central Government with the foreign government through a treaty with regard to the service of summons/warrants/ judicial process? / सीआरपीसी की किस धारा में समन/वारंट/न्यायिक प्रक्रिया की तामील के संबंध में एक संधि के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा विदेशी सरकार के साथ की जाने वाली व्यक्तिकारी व्यवस्था शामिल है?**

- (a) Section 100 / धारा 100
- (b) Section 103/ धारा 103
- (c) Section 105A / धारा 105क
- (d) Section 104A / धारा 104क

Ans.(c)

Linked Provisions:-

1. **Section 105-** Reciprocal arrangement regarding processes.
2. **Chapter 7A-** Reciprocal arrangement (105A-105L).
Explanation:- Section 105 A- contracting State means any country or place outside India in respect of which arrangements have been made by the Central Government with the Government of such country through a treaty or otherwise.

लिंकिंग प्रावधान:-

1. **धारा 105-** प्रक्रियाओं के संबंध में व्यक्तिकारी व्यवस्था
2. **अध्याय 7ए-** व्यक्तिकारी व्यवस्था (105ए-105एल)।

स्पष्टीकरण:- धारा 105 ए-

(ए) अनुबंधित राज्य का अर्थ भारत के बाहर कोई देश या स्थान है जिसके संबंध में केंद्र सरकार द्वारा ऐसे देश की सरकार के साथ किसी संधि या अन्यथा के माध्यम से व्यवस्था की गई है।

33. **A woman can claim maintenance from her husband, / एक महिला अपने पति से गुजारा भत्ता ले सकती है,**
- (a) if she lives in adultery / यदि वह व्यभिचार में रहती है
 - (b) if she refuses to live with her husband / यदि वह अपने पति के साथ रहने से इंकार कर देती है
 - (c) if she lives separately by mutual consent / यदि वह आपसी सम्मति से अलग रहती है
 - (d) if she is neglected / यदि उसकी उपेक्षा की जाती है

Ans.(d)

Linked Provisions:-

1. **Section 18-** Maintenance of wife. (HAMA)
2. **Section 19-** Maintenance of widowed daughter-in-law. (HAMA)

Explanation:- Section 125- Order for maintenance of wives, children and parents-(1) If any person having sufficient means neglects or refuses to maintain-





- (a) his wife, unable to maintain herself, or
- (b) his legitimate or illegitimate minor child, whether married or not, unable to maintain itself, or
- (c) his legitimate or illegitimate child who has attained majority, where such child is, by reason of any physical or mental abnormality or injury unable to maintain itself, or
- (d) his father or mother, unable to maintain himself or herself, a Magistrate of the first class may, upon proof of such neglect or refusal, order such person to make a monthly allowance for the maintenance of his wife or such child, father or mother.

लिंकिंग प्रावधान:-

1. धारा 18- पत्नी का भरण-पोषण। (HAMA)
2. धारा 19- विधवा बहू का भरण-पोषण। (HAMA)

स्पष्टीकरण:- धारा 125- पत्नियों, बच्चों और माता-पिता के भरण-पोषण के लिए आदेश-(1) यदि पर्याप्त साधन रखने वाला कोई व्यक्ति भरण-पोषण की उपेक्षा करता है या इंकार करता है-

- (ए) उसकी पत्नी, अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ, या
- (बी) उसका वैध या नाजायज नाबालिग बच्चा, चाहे वह विवाहित हो या नहीं, अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हो, या
- (सी) उसका वैध या नाजायज बच्चा जिसने वयस्कता प्राप्त कर ली है, जहां ऐसा बच्चा किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता या चोट के कारण अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है, या
- (डी) उसके पिता या माता, अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं, प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट, ऐसी उपेक्षा या इनकार के सबूत पर, ऐसे व्यक्ति को अपनी पत्नी या ऐसे बच्चे, पिता या माँ के भरण-पोषण के लिए मासिक भत्ता देने का आदेश दे सकता है।

34. A Magistrate can / एक मजिस्ट्रेट कर सकता है

- (a) ignore the conclusion reached at by the investigating officer (IO) and apply his mind independently. / अन्वेषक अधिकारी (आईओ) द्वारा पहुंचे निष्कर्ष को नजरअंदाज करें और स्वतंत्र रूप से अपना दिमाग लगाएं।
- (b) not ignore the conclusions reached at by the IO and apply his mind independently / आईओ द्वारा पहुंचे निष्कर्षों को नजरअंदाज न करें और अपने दिमाग को स्वतंत्र रूप से लागू करें
- (c) ignore the conclusion reached at by IO and apply his mind independently only upon statements of witnesses recorded by the police in case diary and material collected during investigation. / आईओ द्वारा पहुंचे निष्कर्ष को नजरअंदाज करें और अपना दिमाग स्वतंत्र रूप से केवल केस डायरी में पुलिस द्वारा दर्ज किए गए सक्षियों के बयानों और अन्वेषण के दौरान एकत्र की गई सामग्री पर लगाएं।
- (d) not ignore the conclusion reached by the IO under any circumstances./ किसी भी परिस्थिति में आईओ द्वारा पहुंचे निष्कर्ष को नजरअंदाज न करें।

Ans.(a)

Explanation:- Wakil Ahmad And Others vs State Of U.P.

The Magistrate can ignore the conclusion arrived at by the investigating officer ;and independently apply his mind to the facts emerging from the investigation and take cognizance of the case, if he thinks fit, in exercise of his powers under Section 190(1)(b) and direct the issue of process to the accused.

स्पष्टीकरण:- वकील अहमद एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य।

मजिस्ट्रेट अन्वेषण अधिकारी द्वारा निकाले गए निष्कर्ष को नजरअंदाज कर सकता है; और धारा 190(1)(बी) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वतंत्र रूप से अन्वेषण से सामने आए तथ्यों पर अपना दिमाग लगा सकता है और मामले का संज्ञान ले सकता है, यदि वह उचित समझता है।) और आरोपी को प्रक्रिया जारी करने का निर्देश दें।

35. A statements made by any person to a police officer in the course of an Investigation / किसी अन्वेषण के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी को दिया गया कथन

- (a) cannot be used for any purpose/ का उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है
- (b) can be used in favour of that person/ का उपयोग उस व्यक्ति के पक्ष में किया जा सकता है
- (c) can be used against that person / का उपयोग उस व्यक्ति के विरुद्ध किया जा सकता है
- (d) cannot be used for any purpose except for the purpose of contradicting witness. / साक्षी का खंडन करने के उद्देश्य को छोड़कर किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है।

Ans.(d)

Linked Provisions:-

1. **Section 26-** Confession by accused while in custody of police not to be proved against him. (IEA)
2. **Section 27-** How much of information received from accused may be proved. (IEA)

Explanation:- Section 162- Statements to police not to be signed: Use of statements in evidence.

- 1) No statement made by any person to a police officer in the course of an investigation under this Chapter, shall, if reduced to writing, be signed by the person making it; nor shall any such statement or any record thereof, whether in a police diary or otherwise, or any part of such statement or record.

Proviso- Provided that when any witness is called for the prosecution in such inquiry or trial whose statement has been reduced into writing as aforesaid, any part of his statement, if duly proved, may be used by the accused, and with the permission of the Court, by the prosecution, to contradict such witness in the manner provided by section 145 of the Indian Evidence Act, 1872.

लिंकिंग प्रावधान:-

1. धारा 26- पुलिस हिरासत में रहते हुए आरोपी द्वारा स्वीकारोक्ति को उसके खिलाफ साबित न किया जाना। (IEA)

Linking Laws is a Professional Institute provide AI based Smart Preparation for

Judicial Service Exams & other Law Related Exam in India

(UP PCS(J), RJS, MPCJ, CG PCS(J), DJS, BJS, APO, ADPO, JLO, APP etc.)



Scan this
QR Code to
Linking Laws BIOs



2. धारा 27- आरोपी से प्राप्त जानकारी को कितना साबित किया जा सकता है। (IEA)

स्पष्टीकरण:- धारा 162- पुलिस को दिए गए कथनों पर हस्ताक्षर न किया जाना: साक्ष्य में कथनों का उपयोग।

- 1)- इस अध्याय के तहत अन्वेषण के दौरान किसी भी व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी को दिया गया कोई भी कथन, यदि लिखित रूप में दर्ज किया गया है, तो इसे बनाने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा; न ही ऐसा कोई कथन या उसका कोई रिकॉर्ड, चाहे वह पुलिस डायरी में हो या अन्यथा, या ऐसे कथन या रिकॉर्ड का कोई भी हिस्सा।

परंतु- जब किसी साक्षी को ऐसी जांच या मुकदमे में अभियोजन पक्ष के लिए बुलाया जाता है, जिसका कथन पूर्वोक्त रूप से लिखित रूप में कम किया गया है, तो उसके कथन का कोई भी हिस्सा, यदि विधिवत साबित हो, तो आरोपी द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है, और की अनुमति के साथ न्यायालय, अभियोजन पक्ष द्वारा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 145 द्वारा प्रदान किए गए तरीके से ऐसे गवाह का खंडन करेगा।

36. When the court of session passes a sentence of death, then / जब सेशन न्यायालय मृत्युदंड सुनाता है, तब

- the proceedings are submitted to the High Court and death sentence is executed. / कार्यवाही उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है और मृत्यु दंड निष्पादित किया जाता है।
- the proceedings are submitted to the High Court and death sentence is executed only after the confirmation by the High Court / कार्यवाही उच्च न्यायालय को प्रस्तुत की जाती है और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि के बाद ही मृत्यु दंड पर अमल किया जाता है
- the proceedings are not needed to be submitted to the High Court / कार्यवाही को उच्च न्यायालय में प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है
- it exceeds its powers. / यह अपनी शक्तियों से अधिक है।

Ans.(b)

Linked Provisions :-

- Section 367-** Power to direct further to be made or additional evidence to be taken.
- Section 368-** Power of High Court to confirm sentence or annual conviction.
- Section 370** -Procedure in case of difference of opinion.
- Section 371-** Procedure in cases submitted to High Court for confirmation.

Explanation:-Section 366 sentence of death to be submitted by court of session for confirmation:-

- When the Court of Session passes a sentence of death, the proceedings shall be submitted to the High Court, and the sentence shall not be executed unless it is confirmed by the High Court.
- The Court passing the sentence shall commit the convicted person to jail custody under a warrant.

Section 366(2)-State of Punjab vs Kala Ram @ Kala Singh (2018).

लिंकिंग प्रावधान:-

- धारा 367-** आगे गवाही देने या अतिरिक्त साक्ष्य लेने का निर्देश देने की शक्ति।

2. धारा 368- सजा या वार्षिक दोषसिद्धि की पुष्टि करने की उच्च न्यायालय की शक्ति।

3. धारा 370 -मतभेद की स्थिति में कार्यवाही।

4. धारा 371- पुष्टिकरण हेतु उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किये गये प्रकरणों में प्रक्रिया।

स्पष्टीकरण:-धारा 366 मौत की सजा की पुष्टि के लिए सत्र न्यायालय द्वारा प्रस्तुत किया जाना है:-

- जब सत्र न्यायालय मौत की सजा सुनाता है, तो कार्यवाही उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी, और सजा तब तक निष्पादित नहीं की जाएगी जब तक इसकी पुष्टि हाई कोर्ट ने की है।
- सजा सुनाने वाली न्यायालय दोषी व्यक्ति को वारंट के तहत जेल हिरासत में भेज देगी।

धारा 366(2)-पंजाब राज्य बनाम काला राम @ काला सिंह (2018)।

37. Anticipatory bail is granted by the High Court or Court of Session. / अग्रिम जमानत उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा दी जाती है।

- in anticipation of arrest in non bailable cases. / अजमानतीय मामलों में गिरफ्तारी की प्रत्याशा में।
- in anticipation of arrest in bailable cases / जमानती मामलों में गिरफ्तारी की प्रत्याशा में
- by passing the regular court which had try the offender/ नियमित न्यायालय को पारित करके जिसने अपराधी पर विचारण किया था
- in ordinary circumstances/ सामान्य परिस्थितियों में

Ans.(a)

Explanation:- Section 438(1) Direction for grant of bail to person apprehending arrest- When any person has reason to believe that he may be arrested on an accusation of having committed a non- bailable offence, he may apply to the High Court or the Court of Session for a direction under this section; and that Court may, if it thinks fit, direct that in the event of such arrest, he shall be released on bail.

स्पष्टीकरण:- धारा 438(1) गिरफ्तारी की आशंका वाले व्यक्ति को जमानत देने का निर्देश- जब किसी व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि उसे गैर-जमानती अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वह उच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है या इस धारा के तहत निर्देश के लिए सत्र न्यायालय; और वह न्यायालय, यदि उचित समझे, निर्देश दे सकती है कि ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा।

38. The maxim quando lex aliquid alicui condedit, concedere vedetur id sine quores ipsaesse non potest is enshrined in. / कहावत क्वांडो लेक्स एलिकुड एलिकुड कंडेडिट, कॉन्सेडरे वेडेदुर आईडी साइन कोरेस इपससे नॉन पोटेस्ट में निहित है।

- Section 480. CrPC / धारा 480 सीआरपीसी
- Section 481. CrPC/ धारा 481 सीआरपीसी
- Section 482. CrPC /धारा 482 सीआरपीसी
- Section 483. CrPC / धारा 483 सीआरपीसी

Ans.(c)

Linked Provisions:-





1. **Section 151-** Saving of inherent powers of High Court. (CPC)
2. **Section 149-** Power to make up deficiency of court-fees.
3. **Section 152-** Amendment of Judgements ,decrees or orders.

Explanation:- Section 482- Saving of inherent powers of High Court. Nothing in this Code shall be deemed to limit or affect the inherent powers of the High Court to make such orders as may be necessary to give effect to any order under this Code, or to prevent abuse of the process of any Court or otherwise to secure the ends of justice.

लिंकिंग प्रावधान :-

1. धारा 151 - उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की बचत।
2. धारा 149- न्यायालय-फीस की कमी को पूरा करने की शक्ति।
3. धारा 152- निर्णयों, आदेशों या आदेशों में संशोधन।

स्पष्टीकरण:- धारा 482- उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की बचत। इस संहिता में ऐसा कुछ भी नहीं माना जाएगा जो इस संहिता के तहत किसी भी आदेश को प्रभावी करने के लिए, या किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा ऐसे आदेश देने के लिए उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को सीमित या प्रभावित करता हो। न्याय का अंत.

39. Opinion of handwriting expert under the law of evidence in India is: / भारत में साक्ष्य विधि के तहत लिखावट विशेषज्ञ की राय है:

- (a) not relevant / सुसंगत नहीं है
- (b) relevant and is sole determinant of genuineness of document / सुसंगत है और दस्तावेज़ की वास्तविकता का एकमात्र निर्धारक है
- (c) relevant but not sole determinant of genuineness of document / दस्तावेज़ की वास्तविकता का सुसंगत लेकिन एकमात्र निर्धारक नहीं
- (d) not clear / स्पष्ट नहीं

Ans.(c)

Linked Provisions:-

1. **Section 139(2)-** Power of Magistrate to direct local investigation and examination of an expert. Summon and examine an expert.(CR.P.C)
2. **Section 293-** Reports of certain Government scientific experts.(CR.P.C)
3. **Section 14A-** Power of Court to engage experts. (SRA).

Explanation:- Section 45- Opinions of experts- When the Court has to form an opinion upon a point of foreign law or of science or art, or as to identity of handwriting or finger impressions], the opinions upon that point of persons specially skilled in such foreign law, science or art, or in questions as to identity of handwriting or finger impressions are relevant facts. Such persons are called experts.

लिंकिंग प्रावधान:-

1. **धारा 139(2)** - स्थानीय अन्वेषण और किसी विशेषज्ञ की परीक्षा का निर्देश देने की मजिस्ट्रेट की शक्ति। किसी विशेषज्ञ को बुलाना और उसकी परीक्षा करना।
 2. **धारा 293**-कुछ सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट।
 3. **धारा 14A-** विशेषज्ञों को शामिल करने की न्यायालय की शक्ति
- स्पष्टीकरण:- धारा 45** - विशेषज्ञों की राय - जब न्यायालय को विदेशी कानून या विज्ञान या कला के किसी मुद्दे पर, या लिखावट या उंगलियों के निशान की पहचान के बारे में एक राय बनानी होती है, तो उस बिंदु पर विशेष रूप से व्यक्तियों की राय ऐसे विदेशी कानून, विज्ञान या कला में कुशल, या लिखावट या उंगलियों के निशान की पहचान के प्रश्नों में सुसंगत तथ्य हैं। ऐसे व्यक्तियों को विशेषज्ञ कहा जाता है।

40. Under Section 90 of Indian Evidence Act regarding presumption as to old documents 30 years old, the relevant date of computation of that document in court is./ भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के तहत 30 वर्ष पुराने पुराने दस्तावेज़ों के बारे में उपधारणा के अनुसार, उस दस्तावेज़ की न्यायालय में गणना की सुसंगत तिथि है।

- (a) date of production of document in court / न्यायालय में दस्तावेज़ पेश करने की तारीख
- (b) date of initiation of proceedings in which document is produced / कार्यवाही शुरू होने की तारीख जिसमें दस्तावेज़ प्रस्तुत किया गया है
- (c) date of oral evidence by a witness / साक्षी द्वारा मौखिक साक्ष्य की तारीख
- (d) date of start of hearing / सुनवाई शुरू होने की तारीख

Ans.(b)

Linked Provisions:-

1. Presumption as to Documents (79-90A)
2. **Section 90 A-**Presumption as to electronic records five years old.
3. **Section 107-** Burden of proving death of person known to have been alive within thirty years.
4. **Section 108-** Burden of proving that person is alive who has not been heard of for seven years.

Explanation:- Section 90- Presumption as to documents thirty years old- Where any document, purporting or proved to be thirty years old, is produced from any custody which the Court in the particular case considers proper, the Court may presume that the signature and every other part of such document, which purports to be in the handwriting of any particular person, is in that person's handwriting, and, in the case of a document executed or attested, that it was duly executed and attested by the persons by whom it purports to be executed and attested.

लिंकिंग प्रावधान:-

1. दस्तावेज़ों के बारे में उपधारणा (79-90ए)
2. **धारा 90 ए**-पांच साल पुराने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में उपधारणा।
3. **धारा 107-** तीस वर्ष के भीतर जीवित ज्ञात व्यक्ति की मृत्यु साबित करने का भार।





4. धारा 108- उस व्यक्ति को जीवित साबित करने का भार जिसके बारे में सात साल से कुछ नहीं सुना गया हो।

स्पष्टीकरण:- धारा 90- तीस साल पुराने दस्तावेजों के बारे में उपधारणा- जहां कोई दस्तावेज, जो तीस साल पुराना बताया जाता है या साबित होता है, किसी हिरासत से पेश किया जाता है जिसे न्यायालय विशेष मामले में उचित मानता है, तो न्यायालय यह मान सकता है कि हस्ताक्षर और ऐसे दस्तावेज का हर दूसरा हिस्सा, जो किसी विशेष व्यक्ति की लिखावट में होने का दावा करता है, उस व्यक्ति की लिखावट में होता है, और, निष्पादित या सत्यापित दस्तावेज के मामले में, यह उन व्यक्तियों द्वारा विधिवत निष्पादित और सत्यापित किया गया था जिनके द्वारा यह निष्पादित और प्रमाणित किया जाना अभिप्रेत है।

41. **Tape-recorded conversation is admissible in evidence if / टेप-रिकॉर्ड की गई बातचीत साक्ष्य में स्वीकार्य है यदि-**

- conversation is very important / बातचीत बहुत महत्वपूर्ण है
- conversation can save the culprit / साक्षी द्वारा मौखिक साक्ष्य की तारीख
- conversation is relevant to the matters in issue but the voice is unidentified / बातचीत संबंधित मामलों के लिए सुसंगत है लेकिन आवाज अज्ञात है
- conversation is relevant to the matters in issue and the voice is identified. / बातचीत मुद्दों से संबंधित है और आवाज की पहचान की जाती है।

Ans.(d)

Linked Provisions:-

- Case-** Yusufali v. State of Maharashtra
- Section 7-** Facts which are the occasion, cause or effect of facts in Issue.
- Section 8-** Motive, preparation and previous or subsequent conduct.

Explanation:- Tape recorded conversation is admissible provided first the conversation is relevant to the matters in issue; secondly, there is identification of the voice: and, thirdly, the accuracy of the tape recorded conversation is proved by eliminating the possibility of erasing the tape record.

लिंकिंग प्रावधान:-

- युसुफली बनाम महाराष्ट्र राज्य
- धारा 7-** वे तथ्य जो विवाधक तथ्यों के प्रसंग हेतु या परिणाम हैं।
- धारा 8-** हेतु, तैयारी और पूर्व का या पश्चात् का आचरण।

स्पष्टीकरण:- टेप में रिकॉर्ड की गई बातचीत स्वीकार्य है, परन्तु बातचीत संबंधित मामलों से सुसंगत हो; दूसरे, आवाज की पहचान होती है; और तीसरा, टेप रिकॉर्ड को मिटाने की संभावना को खत्म करके टेप रिकॉर्ड की गई बातचीत की सटीकता साबित होती है।

42. **The evidence relating to conspiracy is - / षडयंत्र से सम्बंधित साक्ष्य है -**

- common motive of the conspirators and any act done in pursuance of it / षडयंत्रकर्ताओं का सामान्य हेतु और उसके अनुसरण में किया गया कोई भी कार्य
- common intention of the conspirators and anything in writing in pursuance of it /

षडयंत्रकर्ताओं का सामान्य आशय और उसके अनुसरण में लिखित रूप में कुछ भी

- common intention of the conspirators and anything said, done, written by any of them in furtherance of that intention. / षडयंत्रकर्ताओं का सामान्य आशय और उस आशय को अग्रसर करने के लिए उनमें से किसी के द्वारा कुछ भी कहा, किया, लिखा गया।
- common motive of the conspirators and the statement of a witness. / का सामान्य हेतु और एक साक्षी का कथन।

Ans.(c)

Linked Provisions:- Chapter 5A- Criminal conspiracy. (120A-120B).

- Section 120A-** Definition of Criminal conspiracy.(CR.P.C)
- Section 120B-** Punishment of Criminal conspiracy.(CR.P.C)

Explanation:- Section 10- Things said or done by conspirator in reference to common design- Where there is reasonable ground to believe that two or more persons have conspired together to commit an offence or an actionable wrong, anything said, done or written by any one of such persons in reference to their common intention.

लिंकिंग प्रावधान:- अध्याय 5ए- आपराधिक षडयंत्र (120ए-120बी)।

- धारा 120ए-** आपराधिक षडयंत्र की परिभाषा। (सीआर.पी.सी.)
- धारा 120बी-** आपराधिक षडयंत्र की सजा। (सीआर.पी.सी.)

स्पष्टीकरण:- धारा 10- सामान्य डिजाइन के संदर्भ में साजिशकर्ता द्वारा कही या की गई बातें- जहां यह मानने का उचित आधार है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने मिलकर कोई अपराध या कार्रवाई योग्य गलत करने की साजिश रची है, वहां किसी के द्वारा कही, की गई या लिखी गई कोई बात ऐसे व्यक्तियों में से एक उनके सामान्य इरादे के संदर्भ में।

43. **Test Identification Parade is / शिनाख्त परेड है**

- substantive evidence / ठोस साक्ष्य
- corroborative evidence / पुष्टिकारक साक्ष्य
- no evidence / कोई साक्ष्य नहीं
- hearsay evidence / अनुश्रुत साक्ष्य

Ans.(b)

Linked Provisions:-

- Section 54A-** Identification of person arrested.
- Section 291A-** Identification report of Magistrate. (crpc)
- Section 9-** Facts necessary to explain or introduce relevant facts.

Cases:-

- Hare Kishan Singh V. State of Bihar
- Kiwan Prakash Pandurang Mokash V. State of Maharashtra.

Explanation:- Test identification parade is absolute, the use of the test identification parade as mandatory evidence is outdated, and the test identification parade has only a corroborative value as evidence.





The test identification parade is used to assess the witness's honesty and ability to recognize unknown people. The confirmative or substantive value of the Test Identification Parade is unquestionable, and its use as substantial evidence or key evidence is ruled out.

लिंकिंग प्रावधान:-

1. धारा 54ए- गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त
2. धारा 291ए-मजिस्ट्रेट की शिनाख्त रिपोर्ट. (CR.P.C)
3. धारा 9-सुसंगत तथ्यों को समझाने या पेश करने के लिए आवश्यक तथ्य।

मामले:-

1. हरे किशन सिंह बनाम बिहार राज्य
2. किवान प्रकाश पांडुरंग मोक्ष बनाम महाराष्ट्र राज्य।

स्पष्टीकरण:- शिनाख्त परेड पूर्ण है, अनिवार्य साक्ष्य के रूप में परीक्षण पहचान परेड का उपयोग पुराना हो चुका है, और शिनाख्त परेड का साक्ष्य के रूप में केवल पुष्टिकारक मूल्य है।

परीक्षण शिनाख्त परेड का उपयोग गवाह की ईमानदारी और अज्ञात लोगों को पहचानने की क्षमता का आकलन करने के लिए किया जाता है। परीक्षण शिनाख्त परेड का पुष्टिकरण या वास्तविक मूल्य निर्विवाद है, और पर्याप्त सबूत या मुख्य सबूत के रूप में इसके उपयोग को खारिज कर दिया गया है।

44. The presumption under Section 114A Indian Evidence Act, is a/an / धारा 114क के तहत उपधारणा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, एक/एक है

- (a) rebuttable presumption / खंडनीय उपधारणा
- (b) presumption of fact / तथ्य का उपधारणा
- (c) mixed presumption of law and fact / विधि और तथ्य की मिश्रित उपधारणा
- (d) irrebuttable presumption of law / विधि की अखंडनीय धारणा

Ans.(a)

LinkedProvisions:-

1. **Section114 A** add after Amendment 2013 (3feb 2013).
2. Rebuttable Presumption **case-** Imran khan v. State of Maharashtra, 2019.
3. **Shall Presumption** – 79-85C,89.

Explanation:- The Shall Presume signifies a strong claim or aims to determine any fact. shall presume is also known as Rebuttable Presumption of Law/Obligatory Presumption/ Artificial Presumption.

Section 114A- Presumption as to absence of consent in certain prosecution for rape- The Court shall presume that she did not consent.

लिंकिंग प्रावधान:-

1. धारा 114 ए संशोधन 2013 (3 फरवरी 2013) के बाद जोड़ा गया।
2. खंडन योग्य अनुमान मामला- इमरान खान बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2019।
3. उपधारणा करेगा – 79-85C,89.

स्पष्टीकरण:- उपधारणा करेगा - एक मजबूत दावे का प्रतीक है या किसी तथ्य को निर्धारित करने का लक्ष्य रखता है। क्या अनुमान को कानून की खंडनयोग्य उपधारणा/अनिवार्य उपधारणा/कृत्रिम उपधारणा के रूप में भी जाना जाता है।

धारा 114ए- बलात्कार के लिए कुछ अभियोजन में सहमति की अनुपस्थिति के बारे में उपधारणा- न्यायालय यह मानेगी कि उसने सहमति नहीं दी थी।

45. Which Section of the Indian Evidence Act deal with the proof of customary practices / भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा प्रथागत प्रथाओं के प्रमाण से संबंधित है

- (a) Sections 34, 46 and 47 / धारा 34, 46 और 47
- (b) Sections 33, 45 and 48 / धारा 33, 45 और 48
- (c) Section 35, 47 and 49 / धारा 35, 47 और 49
- (d) Sections 35, 48 and 49 / धारा 35, 48 और 49

Ans.(d)

Linked Provisions:-

1. **Section 13-** Facts relevant when right or custom is in question.
2. **Section32 (4)** gives a opinion as to public right or custom or matter of general interest.

Explanation:-

1. **Section 35-** Relevancy of entry in public made in performance of duty- An entry in any public or other official book, register or record or an electronic record, stating a fact in issue or relevant fact, and made by a public servant in the discharge of his official duty, or by any other person in performance of a duty specially enjoined by the law of the country in which such book, register is itself relevant facts.
2. **Section 48-**Opinion as to existence of right or custom, when relevant- when the Court has to form an opinion as to the existence of any general custom or right, the opinions, as to the existence of such custom or right, of persons who would be likely to know of its existence if it existed, are relevant.
3. **Section 49-**Opinions as to usages, tenets, etc., when relevant.—When the Court has to form an opinion as to— the usages and tenets of any body of men or family, the constitution and government of any religious or charitable foundation, or the meaning of words or terms used in particular districts or by particular classes of people, the opinions of persons having special means of knowledge thereon are relevant facts.

लिंकिंग प्रावधान:-

1. धारा 13- जब अधिकार या प्रथा प्रश्न में हो तो सुसंगत तथ्य।
2. धारा 32 (4) लोक अधिकार या प्रथा या सामान्य हित के मामले के बारे में एक राय देती है।

स्पष्टीकरण:-

1. धारा 35- कर्तव्य पालन के दौरान लोक रूप से की गई प्रविष्टि की सुसंगता - किसी भी लोक या अन्य आधिकारिक पुस्तक, रजिस्टर या रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में एक प्रविष्टि, जिसमें कोई मुद्दा या सुसंगत तथ्य बताया गया हो, और एक लोक सेवक द्वारा की गई हो। अपने आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन, या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा





विशेष रूप से उस देश के कानून द्वारा दिए गए कर्तव्य का पालन करना जिसमें ऐसी पुस्तक, रजिस्टर स्वयं सुसंगत तथ्य हैं।

2. **धारा 48**-अधिकार या प्रथा के अस्तित्व के बारे में राय, जब सुसंगत हो- जब न्यायालय को किसी सामान्य प्रथा या अधिकार के अस्तित्व के बारे में एक राय बनानी होती है, तो ऐसी प्रथा या अधिकार के अस्तित्व के बारे में राय, जिन व्यक्तियों को इसके अस्तित्व के बारे में जानने की संभावना होगी यदि यह अस्तित्व में है, तो वे सुसंगत हैं।
3. **धारा 49** -सुसंगत होने पर प्रथाओं, सिद्धांतों आदि के बारे में राय। - जब न्यायालय को पुरुषों या परिवार के किसी भी निकाय की प्रथाओं और सिद्धांतों, किसी भी धार्मिक या सरकार के संविधान और सरकार के बारे में एक राय बनानी होती है। धर्मार्थ फाउंडेशन, या विशेष जिलों में या विशेष वर्ग के लोगों द्वारा उपयोग किए गए शब्दों या शब्दों के अर्थ, ज्ञान के विशेष साधन रखने वाले व्यक्तियों की राय सुसंगत तथ्य हैं।

46. The Court shall not take judicial notice of / न्यायालय न्यायिक अवस्था नहीं करेगा

- (a) geographical divisions of the world / दुनिया के भौगोलिक विभाजन
- (b) public festivals notified in the official gazette / सरकारी राजपत्र में अधिसूचित सार्वजनिक त्यौहार
- (c) national flag of a foreign country recognized by the Government of India / भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी देश का राष्ट्रीय ध्वज
- (d) an officer's signature whose appointment is not notified in an official gazette / एक अधिकारी के हस्ताक्षर जिनकी नियुक्ति आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित नहीं है

Ans.(d)

Linked Provisions:- Part 2 on proof

1. **Section 56**- Fact judicially noticeable need not be proved.
2. **Section 58**- Fact admitted need not be proved.
3. **Chapter 3**- fact which need not be proved (56-58).

Explanation:- Section 57- Facts of which court must take judicial notice All laws in force in the territory of India, All public acts passed by Parliament, Article of war for army, Parliament proceeding, accession and the sign manual of the sovereign, all seals of which English courts take judicial notice, public office in any state is notified, State existence title flag, public Holiday festival, Union Territories, termination of hostilities, Government members, Rule of land road sea.

लिंकिंग प्रावधान:- प्रमाण पर भाग 2

1. **धारा 56**- न्यायिक रूप से अवश्यणीय तथ्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं है।
2. **धारा 58**- स्वीकृत तथ्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं है।
3. **अध्याय 3**- तथ्य जिनका साबित करने की आवश्यकता नहीं है (56-58)।

स्पष्टीकरण:- धारा 57- तथ्य यह है कि किस न्यायालय को न्यायिक नोटिस लेना चाहिए भारत के क्षेत्र में लागू सभी कानून, संसद द्वारा पारित सभी लोक कार्य, सेना के लिए युद्ध का अनुच्छेद, संसद की कार्यवाही, परिग्रहण

और संप्रभु के साइन मैनुअल, सभी जिनकी मुहरें अंग्रेजी न्यायालय न्यायिक नोटिस लेती हैं, किसी भी राज्य में लोक कार्यालय को अधिसूचित किया जाता है, राज्य अस्तित्व का शीर्षक ध्वज, लोक अवकाश उत्सव, केंद्र शासित प्रदेश, शत्रुता की समाप्ति, सरकारी सदस्य, भूमि सड़क समुद्र का नियम।

47. The contents of a document may be proved. / दस्तावेज़ की अंतर्वस्तु को साबित किया जा सकता है।

- (a) by primary evidence only / केवल प्राथमिक साक्ष्य द्वारा
- (b) by secondary evidence only./ केवल द्वितीयक साक्ष्य द्वारा।
- (c) neither by primary evidence only / न केवल प्राथमिक साक्ष्य द्वारा
- (d) either by primary or by secondary evidence. / या तो प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा।

Ans.(d)

Linked Provisions:-

1. **Section 64**- Proof of documents by primary evidence.
2. **Section 65**- Cases in which secondary evidence relating to document may be given.
3. **Section 68**- Proof of execution of document required by law to be attested.
4. **Section 70**- Admission of execution by party to attested document.
5. **Section 72**- Proof of document not required by law to be attested.
6. **Section 74-78,89,90.** (Chapter 6 The Exclusion of oral by Documentary Evidence. 91-100).

Explanation:-Proof of contents of documents:- The contents of documents may be proved either by primary or by secondary evidence.

1. **Section 62** Primary evidence:- Primary evidence means the document itself produced for the inspection of the Court.
2. **Section 63**- Secondary evidence
 - 1) certified copies of public document.
 - 2) copies made from original by mechanical process.
 - 3) copies made from or compared with original.
 - 4) counterparts of document as against the parties did not execute.
 - 5) Oral accounts of contents (who has himself seen it).

लिंकिंग प्रावधान:-

1. **धारा 64**- प्राथमिक साक्ष्य द्वारा दस्तावेज़ों का प्रमाण।
2. **धारा 65**- ऐसे मामले जिनमें दस्तावेज़ से संबंधित द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है।
3. **धारा 68**- कानून द्वारा प्रमाणित किए जाने वाले दस्तावेज़ के निष्पादन का प्रमाण।
4. **धारा 70**- प्रमाणित दस्तावेज़ के पक्षकार द्वारा निष्पादन की स्वीकृति।
5. **धारा 72**- दस्तावेज़ का प्रमाण जिसे सत्यापित करना कानून द्वारा आवश्यक नहीं है।





6. धारा 74-78,89,90. (अध्याय 6 दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक का बहिष्कार। 91-100)।

स्पष्टीकरण:- दस्तावेजों की सामग्री का प्रमाण:- दस्तावेजों की सामग्री को प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है।

1. धारा 62 प्राथमिक साक्ष्य:- प्राथमिक साक्ष्य का अर्थ है न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया दस्तावेज़।

2. धारा 63- द्वितीयक साक्ष्य

- 1) लोक दस्तावेज़ की प्रमाणित प्रतियां।
- 2) यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा मूल से बनाई गई प्रतियां।
- 3) मूल से बनाई गई या तुलना की गई प्रतियां।
- 4) पक्षों के विरुद्ध दस्तावेज़ के समकक्षों का निष्पादन नहीं किया गया।
- 5) अंतर्वस्तु का मौखिक विवरण (जिसने इसे स्वयं देखा हो)।

48. A agrees in writing to sell a horse to B for " Rs. 1000 or Rs. 1500". / क, ख को "1000 रुपये या 1500 रुपये" में एक घोड़ा बेचने के लिए लिखित रूप में सहमत होता है।

- (a) Evidence cannot be given to show which price was to be paid for sale / यह दिखाने के लिए साक्ष्य नहीं दिया जा सकता कि बिक्री के लिए कौन सी कीमत चुकाई जानी थी
- (b) Evidence can be given to show which price was paid for sale / यह दिखाने के लिए साक्ष्य दिया जा सकता है कि बिक्री के लिए कौन सी कीमत का भुगतान किया गया था
- (c) Evidence cannot be given to show the average of the sale prices. / बिक्री मूल्यों का औसत दिखाने के लिए साक्ष्य नहीं दिया जा सकता है।
- (d) Evidence can be given to show the average of the sale prices / बिक्री मूल्यों का औसत दिखाने के लिए साक्ष्य दिया जा सकता है।

Ans.(a)

Linked Provisions:- Patent ambiguity

Section 94- Exclusion of evidence against application of document to existing facts.

Explanation:- Section 93- Exclusion of evidence to explain or amend ambiguous document.—When the language used in a document is, on its face, ambiguous or defective, evidence may not be given of facts which would show its meaning or supply its defects. (a) Illustrations- A agrees, in writing, to sell a horse to B for "Rs. 1,000 or Rs. 1,500". Evidence cannot be given to show which price was to be given.

लिंकिंग प्रावधान:- पेटेंट संदिग्धार्थ

धारा 94- विद्यमान तथ्यों पर दस्तावेज़ के लागू होने के विरुद्ध साक्ष्य का अपवर्जन।

स्पष्टीकरण:- धारा 93- संदिग्धार्थ दस्तावेज़ को समझाने या संशोधित करने के लिए साक्ष्य का अपवर्जन - जब किसी दस्तावेज़ में इस्तेमाल की गई भाषा, पहली नज़र में, संदिग्धार्थ या दोषपूर्ण हो, तो उन तथ्यों का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता है जो इसका अर्थ दिखाते हों या इसके दोषों की आपूर्ति करते हों। (ए) उदाहरण- ए, बी को "रुपये" में एक घोड़ा बेचने के लिए लिखित रूप में सहमत है। 1,000 या रु. 1,500" यह बताने के लिए साक्ष्य नहीं दिया जा सकता कि कौन सी कीमत दी जानी थी।

49. A public officer/ एक लोक अधिकारी

- (a) cannot be compelled to disclose communication made to him in official confidence if he does not consider that the public interests would suffer by the disclosure. / उसे आधिकारिक विश्वास में की गई संसूचना का प्रकटीकरण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है यदि वह यह नहीं मानता है कि प्रकटीकरण से लोक हितों को नुकसान होगा।
- (b) cannot be compelled to disclose communications made to his officially if he considers that the public interest would suffer by the disclosure. / को आधिकारिक तौर पर की गई संसूचना का प्रकटीकरण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है यदि वह मानता है कि प्रकटीकरण से लोक हित को नुकसान होगा।
- (c) Can be compelled to disclose communications made to him officially if he does not consider that the public interest would suffer by the disclosure. / उसे आधिकारिक तौर पर की गई संसूचना का प्रकटीकरण करने के लिए बाध्य किया जा सकता है यदि वह यह नहीं मानता है कि प्रकटीकरण से लोक हित को नुकसान होगा।
- (d) can be compelled to disclose communications made to him officially if he considers that the public interest would suffer by the disclosure / उसे आधिकारिक तौर पर की गई संसूचना का प्रकटीकरण करने के लिए बाध्य किया जा सकता है यदि वह मानता है कि प्रकटीकरण से लोक हित को नुकसान होगा।

Ans.(b)

Linked Provisions:-

1. **Order 27-** Suit by or against the government or public officers in their official capacity.(CPC)
2. **Section 197-** prosecution of Judges and public servants.(CR.P.C)
3. **Chapter 10** lawful authority of public servants.(172-190)
4. **Section 121-131** Provisions regarding privilege.
5. **Section 105,109-** Privileges of the members of Parliament and Legislature.

Explanation:- Section 124- Official communications- No public officer shall be compelled to disclose communications made to him in official confidence, when he considers that the public interests would suffer by the disclosure.

लिंकिंग प्रावधान:-

1. **आदेश 27-** सरकार या लोक अधिकारियों द्वारा उनकी आधिकारिक क्षमता में या उनके खिलाफ मुकदमा। (सीपीसी)
2. **धारा 197-** न्यायाधीशों और लोक सेवकों पर मुकदमा चलाना। (सीआर.पी.सी.)
3. **अध्याय 10** लोक सेवकों का वैध अधिकार।(172-190)
4. **धारा 121-131** विशेषाधिकार संबंधी प्रावधान।
5. **धारा 105,109-** संसद और विधानमंडल के सदस्यों के विशेषाधिकार.

स्पष्टीकरण:- धारा 124- शासकीय संसूचनाएँ - किसी भी लोक अधिकारी को आधिकारिक विश्वास में किए गए संचार का खुलासा करने के लिए





मजबूर नहीं किया जाएगा, जब वह मानता है कि प्रकटीकरण से लोक हितों को हानि होगी।

50. An accomplice / एक सह-अपराधी

- (a) is not a competent witness against an accused person / किसी आरोपी व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी नहीं है
- (b) is a competent witness against accused person / आरोपी व्यक्ति के विरुद्ध एक सक्षम साक्षी है
- (c) must be corroborated in that case / उस मामले में पुष्टि की जानी चाहिए
- (d) must be prosecuted / मुकदमा चलाया जाना चाहिए

Ans.(b)

Linked Provisions:-

- 1. **Section 114-** Court may presume existence of certain facts.(b).
- 2. **Section 306-** Tender of pardon to accomplice. (CR.P.C)

Explanation:-Section 133- Accomplice- An accomplice shall be a competent witness against an accused person; and a conviction is not illegal merely because it proceeds upon the uncorroborated testimony of an accomplice.

लिंकिंग प्रावधान:-

- 1. **धारा 114-** न्यायालय कुछ तथ्यों के अस्तित्व को मान सकता है।(बी)।
 - 2. **धारा 306-** सह-अपराधी को क्षमादान देना। (सी.आर.पी.सी.)
- स्पष्टीकरण:-धारा 133-** सह-सहयोगी- एक सह-अपराधी किसी आरोपी व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा; और कोई दोषसिद्धि केवल इसलिए अवैध नहीं है क्योंकि यह किसी साथी की अपुष्ट गवाही पर आगे बढ़ती है।

51. Examination-in-chief means. /मुख्य परीक्षा का अर्थ है.

- (a) examination of a witness by adverse party/प्रतिकूल पक्ष द्वारा एक साक्षी की परीक्षा
- (b) examination of a witness by Chief Judicial Magistrate / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा एक साक्षी की परीक्षा
- (c) examination of a witness by Chief Superintendent of Police/ मुख्य पुलिस अधीक्षक द्वारा एक साक्षी की परीक्षा
- (d) examination of a witness by the party who calls him./ किसी साक्षी को बुलाने वाले पक्ष द्वारा उसकी परीक्षा करना।

Ans.(d)

Linked Provisions:-

- 1. **Section 138-** order of examinations.
- 2. **Section 139-** Cross-examination of person called to produce a document.
- 3. **Section 54-** Examination of arrested person by medical officer.(CR.P.C)
- 4. **Section 161-** Examination of witnesses by police.(CR.P.C)
- 5. **Section 200-** Examination of complaint.(CR.P.C)

Explanation:-

- **Section 137-** Examination-in-chief- The examination of a witness by the party who calls him shall be called his examination-in-chief.
- **Cross-examination**—The examination of a witness by the adverse party shall be called his cross-examination.
- **Re-examination-** The examination of a witness, subsequent to the cross-examination by the party who called him, shall be called his re-examination.

लिंकिंग प्रावधान:-

- 1. **धारा 138-** परीक्षा का क्रम.
- 2. **धारा 139-** दस्तावेज़ पेश करने के लिए बुलाए गए व्यक्ति से प्रतिपरीक्षा।
- 3. **धारा 54-** गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा (सीआर.पी.सी.)
- 4. **धारा 161-** पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा (सीआर.पी.सी.)
- 5. **धारा 200-** परिवाद की परीक्षा .(सी.आर.पी.सी.)

स्पष्टीकरण:-

- **धारा 137-** मुख्य परीक्षा- किसी गवाह को बुलाने वाले पक्ष द्वारा की गई परीक्षा उसकी मुख्य परीक्षा कहलाएगी।
- **प्रतिपरीक्षा** - प्रतिपक्ष द्वारा किसी साक्षी की परीक्षा उसकी प्रतिपरीक्षा कहलाएगी।
- **पुनःपरीक्षा-** किसी गवाह की जिरह के बाद उसे बुलाने वाले पक्ष द्वारा की गई परीक्षा को उसकी पुनःपरीक्षा कहा जाएगा।

52. A Judge in India / भारत में एक न्यायाधीश

- (a) is not empowered to put questions on his own to the witnesses or to the parties / को सक्षियों या पक्षों से स्वयं प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है
- (b) is empowered to put questions on his own to the witnesses or to the parties according to his sweet will / को अपनी इच्छा के अनुसार सक्षियों या पक्षों से प्रश्न पूछने का अधिकार है
- (c) is empowered to put questions on his own to the parties in order to discover or to obtain proper proof of relevant facts / सुसंगत तथ्यों की खोज करने या उनका उचित प्रमाण प्राप्त करने के लिए पक्षों से स्वयं प्रश्न पूछने का अधिकार रखता है
- (d) is not empowered to put questions on his own to the witnesses or to the parties as India follows common law doctrines. / को सक्षियों या पक्षों से स्वयं प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है क्योंकि भारत सामान्य विधि सिद्धांतों का पालन करता है।

Ans.(c)

Linked Provisions:-

- 1. **Section 136-** Judge to decide as to admissibility of evidence.
- 2. **Section 148-** Court to decide when question shall be asked and witness compelled to answer.
- 3. **Section 149-** Question not to be asked without Reasonable ground.
- 4. **Section 408-** Powers of sessions Judge to transfer cases and appeals.





Explanation:- Section 165- Judge's power to put questions or order production.—The Judge may, in order to discover or to obtain proper proof of relevant facts, ask any question he pleases, in any form, at any time, of any witness, or of the parties, about any fact relevant or irrelevant; and may order the production of any document or thing; and neither the parties nor their agents shall be entitled to make any objection to any such question or order, nor, without the leave of the Court, to cross-examine any witness upon any answer given in reply to any such question: Provided that the Judgment must be based upon facts declared by this Act to be relevant, and duly proved.

लिंकिंग प्रावधान:-

- धारा 136-** साक्ष्य की स्वीकार्यता के बारे में निर्णय न्यायाधीश को करना।
- धारा 148-** न्यायालय यह तय करेगा कि प्रश्न कब पूछा जाएगा और साक्षी को उत्तर देने के लिए विवश किया जाएगा।
- धारा 149-** युक्तियुक्त आधारों के बिना प्रश्न नहीं पूछा जाएगा।
- धारा 408-** मामलों और अपीलों को स्थानांतरित करने की सत्र न्यायाधीश की शक्तियाँ।

स्पष्टीकरण:- धारा 165- प्रश्न पूछने या पेश करने का आदेश देने की न्यायाधीश की शक्ति। - न्यायाधीश, सुसंगत तथ्यों की खोज करने या उनका उचित प्रमाण प्राप्त करने के लिए, किसी भी साक्षी से, किसी भी रूप में, किसी भी समय, कोई भी प्रश्न पूछ सकता है।, या पार्टियों के, किसी सुसंगत या तथ्य के असुसंगत बारे में; और किसी दस्तावेज़ या चीज़ के उत्पादन का आदेश दे सकता है; और न तो पक्ष और न ही उनके एजेंट ऐसे किसी प्रश्न या आदेश पर कोई आपत्ति करने के हकदार होंगे, न ही, न्यायालय की अनुमति के बिना, ऐसे किसी भी प्रश्न के उत्तर में दिए गए किसी भी उत्तर पर किसी साक्षी से प्रतिपरीक्षा करने के हकदार होंगे: परन्तु निर्णय इस अधिनियम द्वारा सुसंगत घोषित किए गए और विधिवत साबित किए गए तथ्यों पर आधारित होना चाहिए

53. The difference between Section 34 and Section 149 of Indian Penal Code is: / भारतीय दंड संहिता की धारा 34 और धारा 149 के बीच अंतर है:

- That Section 34, there must be at least five persons, whereas Section 149 requires only two persons./ धारा 34 में कम से कम पांच व्यक्ति होने चाहिए, जबकि धारा 149 में केवल दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है।
- that Section 149 is only a 'rule of evidence', whereas Section 34 creates a specific offence and provides for its punishment / कि धारा 149 केवल 'साक्ष्य का नियम' है, जबकि धारा 34 एक विशिष्ट अपराध बनाती है और उसकी सजा का प्रावधान करती है
- that Section 34 requires active participation in action, whereas Section 149 requires mere passive membership of the unlawful assembly / धारा 34 के लिए कार्रवाई में सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है, जबकि धारा 149 के लिए विधिविरुद्ध जमाव की केवल निष्क्रिय सदस्यता की आवश्यकता होती है
- that Section 34 need not be joined with the principal offence, whereas Section 149 must be combined with the principal offence./ कि धारा 34

को मुख्य अपराध के साथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, जबकि धारा 149 को मुख्य अपराध के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

Ans.(c)

Linked Provisions:-

- Section 120-** Criminal conspiracy.
- Section 10-** Things said or done by conspirator in reference to common design. (IEA)

Explanation:-

- Section 34 requires active participation and in Section 149 mere presence is sufficient.
- In **section 34**, the number of people must be more than one, but in section 149, the unlawful assembly must consist of at least a group of five people.
- Section 34, a Prior meeting of the people is necessary, whereas, in section 149, the prior meeting of a group of people is not required.

लिंकिंग प्रावधान:-

- धारा 120-** आपराधिक षडयंत्र
- धारा 10-** सामान्य डिजाइन के संदर्भ में षडयंत्रकर्ता द्वारा कही या की गई बातें। (आईईए)

स्पष्टीकरण:-

- धारा 34** में सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है और धारा 149 में मात्र उपस्थिति ही पर्याप्त है।
- धारा 34** में लोगों की संख्या एक से अधिक होनी चाहिए, लेकिन धारा 149 में, गैरकानूनी सभा में कम से कम पांच लोगों का समूह होना चाहिए।
- धारा 34**, लोगों की पूर्व बैठक आवश्यक है, जबकि धारा 149 में, लोगों के समूह की पूर्व बैठक आवश्यक नहीं है।

54. A takes a girl out of the custody of her lawful guardians. Which of the following statements is a complete defence if A is charged under Section 361 of the IPC for kidnapping on the ground that the girl was below the age of 18 years when taken away?/ क एक लड़की को उसके वैध संरक्षकों की अभिरक्षा से बाहर ले जाता है। यदि क पर इस आधार पर व्यपहरण के लिए आईपीसी की धारा 361 के तहत आरोप लगाया गया है कि लड़की को ले जाने के समय उसकी उम्र 18 वर्ष से कम थी, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्ण प्रतिरक्षा है?

- The girl was a student in a college and could understand what was right or wrong for her. / लड़की एक कॉलेज की छात्रा थी और समझ सकती थी कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है।
- The girl was maltreated by the guardians and A promised her a better life. / संरक्षकों द्वारा लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया गया और क ने उसे बेहतर जीवन देने का वादा किया।
- The girl looked more than 18 years of age and the accused had satisfied himself that she was more than 18 years of age. / लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक लग रही थी और आरोपी ने खुद को संतुष्ट कर लिया था कि उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है।
- None of the above. / उपरोक्त में से कोई नहीं।





Ans.(d)

Linked Provisions:-

- Section 360-** kidnapping from India .
- Section 364-** kidnapping or abducting in order to murder.
- Section 364A-** Kidnapping for ransom, etc.

Explanation:-Section 360-Kidnapping from lawful guardianship- Whoever takes or entices any minor under sixteen years of age if a male, or under eighteen years of age if a female, or any person of unsound mind, out of the keeping of the lawful guardian of such minor or person of unsound mind, without the consent of such guardian, is said to kidnap such minor or person from lawful guardianship.

लिंकिंग प्रावधान:-

- धारा 360-** भारत से अपहरण।
- धारा 364-** हत्या के लिए अपहरण या अपहरण करना।
- धारा 364ए-** फिरोती के लिए अपहरण आदि।

स्पष्टीकरण:-धारा 360-वैध संरक्षकता से अपहरण- जो कोई किसी नाबालिग, यदि पुरुष है तो सोलह वर्ष से कम आयु का, या यदि महिला है, तो अठारह वर्ष से कम आयु का, या किसी विकृत दिमाग वाले व्यक्ति को वैध संरक्षकता से बाहर ले जाता है या फुसलाता है। ऐसे नाबालिग या विकृत दिमाग वाले व्यक्ति के संरक्षक, ऐसे अभिभावक की सहमति के बिना, ऐसे नाबालिग या व्यक्ति को वैध संरक्षकता से अपहरण करने के लिए कहा जाता है।

55. Y picks X's pocket, next day, X while A buying paan' near his office finds Y paying money from X's purse. X catches hold of Y and tries to take back his purse, Y resists, x twists Y's arm with such force that it is broken. X is charged with causing hurt to Y. X can. / वाई, एक्स की जेब की तस्वीर खींचता है, अगले दिन, जबकि ए अपने कार्यालय के पास पान खरीद रहा है, वाई को एक्स के पर्स से पैसे चुराते हुए पाता है। एक्स वाई को पकड़ता है और अपने पर्स को वापस लेने की कोशिश करता है, वाई प्रतिरोध करता है, एक्स, वाई की बांह को इतनी ताकत से मरोड़ता है कि वह टूट जाती है। एक्स पर वाई को चोट पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। एक्स कर सकता है।

- say that he was acting under right of private defence of property / कहें कि वह संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के तहत कार्य कर रहा था
- not raise the plea of right of private defence since he had time to seek the help of public authorities./ प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की दलील नहीं देगा क्योंकि उसके पास लोक अधिकारियों की मदद लेने का समय था।
- say that his right of private defence was revived as soon as he saw Y with his purse /कहते हैं कि जैसे ही उसने वाई को अपने पर्स के साथ देखा, उसका प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार पुनर्जीवित हो गया
- say that he did not use more force than was required. / कहें कि उसने आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग नहीं किया।

Ans.(b)

Linked Provisions:- Section 96-106 Right of private defence.

- Section 100-** when the right of private defence of the body extends to causing death.
- Section 103-**when the right of private defence of the property extends to causing death.
- Section 106-** Right of private defence against deadly assault when there is risk of harm to innocent person.

Explanation:- Section 99- There is no right of private defence against an act which does not reasonably cause the apprehension of death or of grievous hurt, if done, or attempted to be done, by the direction of a public servant acting in good faith under colour of his office, though that direction may not be strictly justifiable by law.

There is no right of private defence in cases in which there is time to have recourse to protection of the public authorities.

लिंकिंग प्रावधान:- धारा 96-106 प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार।

- धारा 100-** जब शरीर की निजी रक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तारित हो।
- धारा 103-**जब संपत्ति की निजी रक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तारित हो।
- धारा 106-** निर्दोष व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने का जोखिम होने पर घातक हमले के खिलाफ निजी बचाव का अधिकार।

स्पष्टीकरण:- धारा 99- ऐसे कार्य के विरुद्ध निजी बचाव का कोई अधिकार नहीं है जिससे मृत्यु या घोर उपहित की उचित आशंका नहीं होती है, यदि ऐसा किया जाता है, या करने का प्रयास किया जाता है, तो अच्छे विश्वास में काम करने वाले लोक सेवक के निर्देश पर उनके कार्यालय के रंग के तहत, हालांकि वह निर्देश कानून द्वारा सख्ती से उचित नहीं हो सकता है। ऐसे मामलों में निजी बचाव का कोई अधिकार नहीं है जिनमें लोक अधिकारियों की सुरक्षा का सहारा लेने का समय हो।

56. Consider the following statements: / निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- A person is not guilty of dacoity unless he has committed, attempted to or commit or aides in committing robbery. / कोई व्यक्ति डकैती का दोषी नहीं है जब तक कि उसने लूट न की हो, लूट करने का प्रयास न किया हो या लूट करने में सहायता न की हो।**
 - When two persons conjointly commit robbery. every person so committing robbery is said to commit robbery of the commit statements. / जब दो व्यक्ति मिलकर लूट करते हैं। लूट करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिबद्ध बयानों के अनुसार लूट करने के लिए कहा जाता है।**
- 1 and 2 are true / 1 और 2 सत्य हैं
 - 1 and 2 are false / 1 और 2 गलत हैं
 - 1 is true but 2 is false / 1 सत्य है लेकिन 2 गलत है
 - 1 is false but 2 is true / 1 गलत है लेकिन 2 सत्य है

Ans.(a)

Linked Provisions:- Robbery and dacoity (390-402)

- Section 392-** punishment for robbery
- Section 393-** Attempt to commit robbery.

Linking Laws is a Professional Institute provide

AI based Smart Preparation for

Judicial Service Exams & other Law Related Exam in India

(UP PCS(J), RJS, MPCJ, CG PCS(J), DJS, BJS, APO, ADPO, JLO, APP etc.)



Scan this
QR Code to
Linking Laws BLOs



3. **Section 394-** Voluntarily causing hurt in committing robbery.
4. **Section 397-** Robbery or dacoity with attempt to cause death or grievous hurt.

Explanation:- Section 390- Robbery.—In all robbery there is either theft or extortion. When theft is robbery- Theft is robbery if, in order to the committing of the theft, or in committing the theft, or in carrying away or attempting to carry away property obtained by the theft, the offender, for that end, voluntarily causes or attempts to cause to any person death or hurt or wrongful restraint, or fear of instant death or of instant hurt, or of instant wrongful restraint.

लिकिंग प्रावधान:- लूट और डकैती (390-402)

1. **धारा 392-** लूट के लिए सजा
2. **धारा 393-** लूट करने का प्रयास।
3. **धारा 394-** लूट करते समय स्वेच्छा से उपहति पहुंचाना।
4. **धारा 397-** लूट या डकैती के साथ मौत या घोर उपहति पहुंचाने का प्रयास।

स्पष्टीकरण:- धारा 390- लूट - सभी लूट में या तो चोरी होती है या फिर उददापन जब चोरी लूट होती है - चोरी लूट होती है यदि चोरी करने के लिए, या चोरी करने में, या चोरी से प्राप्त संपत्ति को ले जाने या ले जाने का प्रयास करने में, अपराधी, उस उद्देश्य के लिए, स्वेच्छा से कारण बनता है या किसी व्यक्ति को मौत या उपहति या सदोष अवरोध से रोकने का प्रयास, या तत्काल मौत का डर या तुरंत उपहति, या तत्काल सदोष अवरोध से रोकना।

57. Under which of the following situations would the Indian courts have jurisdiction? / निम्नलिखित में से किस स्थिति में भारतीय न्यायालयों का क्षेत्राधिकार होगा?

1. Crime committed by an Indian in a foreign country. / किसी भारतीय द्वारा विदेश में किया गया अपराध।
2. Crime committed by a foreigner in India. / भारत में किसी विदेशी द्वारा किया गया अपराध।
3. Crime committed by a person on an Indian Ship. / भारतीय जहाज पर किसी व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध।

Select the correct answer using the codes given below:/ नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

Codes : कोड :

- (a) 1 and 2 / 1 और 2
- (b) 1 and 3 / 1 और 3
- (c) 2 only / केवल 2
- (d) 1, 2 and 3 / 1, 2 और 3

Ans.(d)

Linked Provisions:-

1. **Section 2-** punishment of offence committed within India.
2. **Section 3-** Punishment of offences committed beyond, but which by law may be tried within, India.

Explanation:- Section 4- Extension of Code to extra-territorial offences- The provisions of this Code apply also to any offence committed by—

- 1) any citizen of India in any place without and beyond India;
- 2) any person on any ship or aircraft registered in India where-ever it may be;
- 3) any person in any place without and beyond India committing offence targeting a computer resource located in India.

लिकिंग प्रावधान:-

1. **धारा 2-** भारत के भीतर किए गए अपराध की सजा।
2. **धारा 3-** ऐसे अपराधों के लिए सजा जो भारत से बाहर किए गए हों, लेकिन कानून के अनुसार उनका मुकदमा भारत के भीतर ही चलाया जा सकता हो।

स्पष्टीकरण:- धारा 4- अतिरिक्त-क्षेत्रीय अपराधों के लिए संहिता का विस्तार- इस संहिता के प्रावधान निम्नलिखित द्वारा किए गए किसी भी अपराध पर भी लागू होते हैं-

- 1) भारत के बाहर और बाहर किसी भी स्थान पर भारत का कोई भी नागरिक;
- 2) भारत में पंजीकृत किसी भी जहाज या विमान पर कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कहीं भी हो;
- 3) भारत के बाहर या बाहर किसी भी स्थान पर कोई भी व्यक्ति भारत में स्थित कंप्यूटर संसाधन को निशाना बनाकर अपराध कर रहा है।

58. If actus non facit reum nisi mens sit rea is a cardinal principle of criminal law, then which one of the following statements correctly reflects the above principle? / यदि एक्टस नॉन फैसिट रेम निसी मेन्स सिट री आपराधिक विधि का एक प्रमुख सिद्धांत है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त सिद्धांत को सही ढंग से दर्शाता है?

- (a) Mens rea is an essential element of a crime and there cannot be a crime without mens rea. / मनःस्थिति अपराध का एक आवश्यक तत्व है और बिना मनःस्थिति के कोई अपराध नहीं हो सकता।
- (b) Criminal liability under Indian law always implies mens rea. / भारतीय विधि के तहत आपराधिक दायित्व हमेशा आपराधिक मनःस्थिति का तात्पर्य होता है।
- (c) To constitute a crime, there must be actus reus and mens rea. / अपराध गठित करने के लिए आपराधिक कृत्य और आपराधिक मनःस्थिति होना चाहिए।
- (d) Actus reus is not always necessary to constitute a crime. / अपराध गठित करने के लिए आपराधिक कृत्य हमेशा आवश्यक नहीं होता है।

Ans.(c)

Linked Provisions:- Section 39- voluntary.

Explanation:- An act must be conducted with a guilty conscience to be considered a crime. We can say that mens rea means "guilty mind." On the other hand, the actus reus means "guilty act." It is a requirement in showing that a criminal act was performed.

लिकिंग प्रावधान:- धारा 39- स्वेच्छिक.

स्पष्टीकरण:- कोई कार्य अपराध माने जाने के लिए दोषी विवेक से किया जाना चाहिए। हम कह सकते हैं कि मेन्स री का अर्थ है "दोषी दिमाग।"





दूसरी ओर, एक्टस रीस का अर्थ है "दोषी कृत्य।" यह दिखाने के लिए एक आवश्यकता है कि कोई आपराधिक कृत्य किया गया था।

59. A having delivered money to his servant to carry to a distant place disguises himself and robs the servant on the highway with an intent to charge him. A commits the offence of / क ने अपने दास को दूर देश में ले जाने के लिये रूपया दिया है, और भेष बदलकर उस पर दोष लगाने की मनसा से राजमार्ग पर उसे लूट लेता है। 'क' का अपराध करता है

- (a) theft / चोरी
(b) extortion / उद्दापन
(c) robbery / लूट
(d) criminal breach of trust / आपराधिक न्यास भंग

Ans.(c)

Linked Provisions:- Robbery and dacoity (390-402)

1. **Section 392-** punishment for robbery
2. **Section 393-** Attempt to commit robbery.
3. **Section 394-** Voluntarily causing hurt in committing robbery.

Explanation:- Section 390- In all robbery there is either theft or extortion. When theft is robbery.—Theft is robbery if, in order to the committing of the theft, or in committing the theft, or in carrying away or attempting to carry away property obtained by the theft, the offender, for that end, voluntarily causes or attempts to cause to any person death or hurt or wrongful restraint, or fear of instant death or of instant hurt, or of instant wrongful restraint.

Extortion is robbery if the offend-er, at the time of committing the extortion, is in the presence of the person put in fear, and commits the extortion by putting that person in fear of instant death, of instant hurt, or of instant wrongful restraint to that person or to some other person, and, by so putting in fear, induces the person so put in fear then and there to deliver up the thing extorted.

लिंकिंग प्रावधान:- लूट और डकैती (390-402)

1. **धारा 392-** लूट के लिए सजा
2. **धारा 393-** लूट करने का प्रयास।
3. **धारा 394-** लूट करते समय स्वेच्छा से चोट पहुंचाना।

स्पष्टीकरण:- धारा 390- सभी लूट में या तो चोरी होती है या उद्दापन जब चोरी लूट होती है - चोरी लूट होती है यदि, चोरी करने के लिए, या चोरी करने में, या चोरी से प्राप्त संपत्ति को ले जाने या ले जाने का प्रयास करने में, अपराधी, उस उद्देश्य के लिए, स्वेच्छा से या किसी व्यक्ति को मौत या उपहति पहुंचाने या सधोष अवरोध से रोकने का प्रयास करता है, या तुरंत मौत का डर या तुरंत उपहति पहुंचाने या तुरंत सधोष अवरोध से रोकने का प्रयास करता है।

उद्दापन लूट है यदि अपराधी, उद्दापन करते समय, भय में रखे गए व्यक्ति की उपस्थिति में है, और उस व्यक्ति को तत्काल मृत्यु, तत्काल उपहति, या तत्काल सधोष अवरोध से रोकने के भय में डालकर उद्दापन करता है। उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को, और इस प्रकार भय में डालकर, उस व्यक्ति को उसी समय भय में डाल कर उद्दापन गई वस्तु को सौंपने के लिए प्रेरित करता है।

60. X with a view to murder Y enters Y's bedroom at night when Y is out of station. X is guilty of / एक्स, वाई की हत्या करने के उद्देश्य से रात में वाई के शयनकक्ष में प्रवेश करता है जब वाई स्टेशन से बाहर होता है। एक्स दोषी है

- (a) murder / हत्या
(b) house-trespass / गृह-अतिचार
(c) attempt to murder / हत्या का प्रयास
(d) no offence / कोई अपराध नहीं

Ans.(b)

Linked Provisions:- Criminal Trespass (441-462)

1. **Section 443-** Lurking house trespass
2. **Section 445-** house breaking
3. **Section 446-** House breaking by night
4. **Section 447-** Punishment for criminal Trespass, 441 criminal Trespass.

Explanation :- Section 442 House-trespass - Whoever commits criminal trespass by enter-ing into or remaining in any building, tent or vessel used as a human dwelling or any building used as a place for worship, or as a place for the custody of property, is said to commit house-trespass.

लिंकिंग प्रावधान:- आपराधिक अतिचार (441-462)

1. **धारा 443-** गुप्त गृह अतिचार
2. **धारा 445-** गृह भेदन करना
3. **धारा 446-** रात में गृह भेदन करना
4. **धारा 447-** आपराधिक अतिचार के लिए सजा, 441 आपराधिक अतिचार।

स्पष्टीकरण:- धारा 442 गृह-अतिचार - जो कोई मानव आवास के रूप में उपयोग किए जाने वाले किसी भवन, तंबू या जहाज या पूजा स्थल के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग किए जाने वाले किसी भवन में प्रवेश करके या उसमें रहकर आपराधिक अतिचार करता है। गृह-अतिचार करने के लिए कहा जाता है।

61. Which one of the following is sufficient to prove the offence of sedition? / निम्नलिखित में से कौन राजद्रोह का अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त है?

- (a) Comments expressing disapproval of the policies of the Government with a view to obtain a change in policies by lawful means. / वैध तरीकों से नीतियों में बदलाव प्राप्त करने की दृष्टि से सरकार की नीतियों के प्रति अस्वीकृति व्यक्त करने वाली टिप्पणियाँ।
- (b) Proof of disloyalty or ill feelings / राज-द्रोहिता या बुरी भावनाओं का प्रमाण
- (c) Comments expressing disapproval of the administrative action even though these do not excite hatred or disloyalty / प्रशासनिक कार्रवाई की अस्वीकृति व्यक्त करने वाली टिप्पणियाँ, भले ही ये घृणा या राज-द्रोहिता को उत्तेजित न करें
- (d) Exciting disaffection towards the Government. / सरकार के प्रति उत्साहजनक असंतोष।

Ans.(d)





Explanation:- Section 124A- Whoever, by words, either spoken or written, or by signs, or by visible representation, or otherwise, brings or attempts to bring into hatred or contempt, or excites or attempts to excite disaffection towards, the Government established by law in India, shall be punished with imprisonment for life, to which fine may be added, or with imprisonment which may extend to three years, to which fine may be added, or with fine.

स्पष्टीकरण:- धारा 124ए- जो कोई भी, बोले गए या लिखित शब्दों से, या संकेतों द्वारा, या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा, या अन्यथा, घृणा या अवमानना लाता है या लाने का प्रयास करता है, या सरकार द्वारा स्थापित के प्रति असंतोष पैदा करता है या उत्तेजित करने का प्रयास करता है। भारत में कानून के अनुसार, आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकता है, या कारावास से, जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकता है, या जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

62. Which one of the following conclusions can be drawn from the maxim de minimis non curat lex? / मैक्सिम डे मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है?

- Necessity knows no law / आवश्यकता कोई विधि नहीं जानती
- Nothing is an offence done by child under 7 years of age/ 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है
- Every person is liable for his own acts / प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी है
- Trifling acts do not constitute an offence / छोटी-छोटी हरकतें अपराध नहीं बनती

Ans.(d)

Linked Provisions:- Chapter 4- General exceptions (76-106)

Explanation:- Section 95- Act causing slight harm- Nothing is an offence by reason that it causes, or that it is intended to cause, or that it is known to be likely to cause, any harm, if that harm is so slight that no person of ordinary sense and temper would complain of such harm.

लिंकिंग प्रावधान:- अध्याय 4- सामान्य अपवाद (76-106)

स्पष्टीकरण:- धारा 95- तुच्छ हानि पहुंचाने वाला कार्य- कोई भी कार्य इस आधार पर अपराध नहीं है कि वह हानि पहुंचाता है, या कि वह कारित करने का इरादा रखता है, या यह ज्ञात है कि उससे कोई हानि होने की संभावना है, यदि वह हानि इतनी तुच्छ है कि सामान्य बुद्धि और स्वभाव का कोई भी व्यक्ति इस तरह के नुकसान की शिकायत नहीं करेगा।

63. Which one of the following cases pertains to the misuse of Section 498 A, IPC? / निम्नलिखित में से कौन सा मामला आईपीसी की धारा 498क के दुरुपयोग से संबंधित है?

- Nareesh Kumar v. State of Himachal Pradesh (AIR 2017 SC 3859) / नरेश कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (एआईआर 2017 एससी 3859)

- Preeti Gupta v. State of Jharkhand [AIR 2010 SC.3363] / प्रीति गुप्ता बनाम झारखंड राज्य [एआईआर 2010 एससी 3363]
- Rajendra Paswan v. State of Jharkhand & Others (AIR 2017 Jhar 123) / राजेंद्र पासवान बनाम झारखंड राज्य और अन्य (एआईआर 2017 झार 123)
- Z v. State of Bihar./ जेड बनाम बिहार राज्य।

Ans.(b)

Linked Provisions:-

- Sec. 120B-** Punishment for criminal conspiracy. (IPC)
- Sec.323-** Punishment for Voluntarily causing hurt. (IPC)
- Section 341-** Punishment for wrongful restraint. (IPC)
- Sec. 498A-** Husband or relative of Husband of a woman subjecting her to cruelty. (IPC)
- Sec. 482-** Saving of inherent power of high court. (CR.P.C)
- Section 406(IPC)**
- Section 3,4** of dowry prohibited act.

Explanation:-The Supreme Court of India ruled that courts must ensure that the exercise of power is grounded on sound principles. A court's refusal to exercise its inherent power to promote justice can potentially result in serious injustice, just as using this power to suppress a lawful prosecution would. The bench consisting of Justice Dalveer Bhandari, and Justice K.S. Radhakrishnan laid down that it is wise for the High Court to avoid making a hasty decision based on incomplete and ambiguous facts, especially if the evidence has not been presented and the issues at hand are substantial. Moreover, having sufficient material is crucial to understand the factual and legal aspects accurately. Finally, it was noted that it is impossible to establish a hard and fast rule for cases where the High Court intervenes and quashes proceedings at any point using its extraordinary jurisdiction.

लिंकिंग प्रावधान:-

- धारा 120बी-** आपराधिक षडयंत्र के लिए सजा. (आईपीसी)
- धारा 323-** स्वेच्छा से उपहति पहुंचाने के लिए सजा। (आईपीसी)
- धारा 341-** सदोष अवरोध से रोकने के लिए सजा. (आईपीसी)
- धारा 498ए-** किसी महिला के पति या पति के रिश्तेदार द्वारा उसके साथ क्रूरता करना। आईपीसी)
- धारा 482-** उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति की बचत। (सी.आर.पी.सी.)
- धारा 406(आईपीसी)**
- दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3,4।

स्पष्टीकरण:-भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शक्ति का प्रयोग ठोस सिद्धांतों पर आधारित हो। किसी न्यायालय द्वारा न्याय को बढ़ावा देने की अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करने से इंकार करने के परिणामस्वरूप संभावित रूप से गंभीर अन्याय हो सकता है, जैसे किसी वैध अभियोजन को दबाने





के लिए इस शक्ति का उपयोग करना। पीठ में न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी और न्यायमूर्ति के.एस. राधाकृष्णन ने कहा कि उच्च न्यायालय के लिए यह बुद्धिमानी है कि अधूरे और अस्पष्ट तथ्यों के आधार पर जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें, खासकर यदि साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है और मौजूदा मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा, तथ्यात्मक और कानूनी पहलुओं को सटीक रूप से समझने के लिए पर्याप्त सामग्री का होना महत्वपूर्ण है। अंत में, यह नोट किया गया कि उन मामलों के लिए एक कठोर और तेज़ नियम स्थापित करना असंभव है जहां उच्च न्यायालय अपने असाधारण क्षेत्राधिकार का उपयोग करके किसी भी बिंदु पर हस्तक्षेप करता है और कार्यवाही को रद्द कर देता है।

64. Which one of the following cases pertains to the constitutionality of Section 377, IPC? / निम्नलिखित में से कौन सा मामला आईपीसी की धारा 377 की संवैधानिकता से संबंधित है?

- Vishakha v. State of Rajasthan (AIR 1997 SC 3011)/ विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (एआईआर 1997 एससी 3011]
- Pratim alias Peter Mukherjee v. Union of India (AIR 2018 BOM 224] / प्रतिम उर्फ पीटर मुखर्जी बनाम भारत संघ (एआईआर 2018 बीओएम 224]
- Navtej Singh Johar v. Union of India AIR 2018 SC 432] / नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ एआईआर 2018 एससी 432]
- Jasmeet Kaur v. Navtej Singh (AIR 2018 SC (Supp.) 898] / जसमीत कौर बनाम नवतेज सिंह (एआईआर 2018 एससी (सप्लीमेंट) 898]

Ans.(c)

Linked Provisions:-

- Article 14-** Right to equality.(COI)
- Article 15-** Prohibits the State from discriminating on the grounds of sex.(COI)
- Article 19(1)a-** Protection of certain rights regarding freedom of speech, etc. (COI)
- Article 21-** Property of life and personal liberty. (COI)
- Section 377-** Unnatural offences.

Explanation:- The court overruled its previous judgement given in Suresh Kaushal case and declared Sec 377 as unconstitutional as it violated Art 14, 15, 19 and 21 of the Constitution.

It held that the "choice of LGBT person to enter into intimate sexual relations with persons of the same sex is an exercise of their personal choice, and an expression of their autonomy and self determination".

लिंकिंग प्रावधान:-

- अनुच्छेद 14-** समानता का अधिकार. (सीओआई)
- अनुच्छेद 15-** राज्य को लिंग के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। (सीओआई)
- अनुच्छेद 19(1)ए-** बोलने की स्वतंत्रता आदि से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण। (सीओआई)
- अनुच्छेद 21-** जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संपत्ति. (सीओआई)
- धारा 377-** अप्राकृतिक अपराध.

स्पष्टीकरण:- न्यायालय ने सुरेश कौशल मामले में दिए गए अपने पिछले फैसले को खारिज कर दिया और धारा 377 को असंवैधानिक घोषित कर दिया क्योंकि यह संविधान की धारा 14, 15, 19 और 21 का उल्लंघन करती है।

यह माना गया कि "समान लिंग के व्यक्तियों के साथ अंतरंग यौन संबंधों में प्रवेश करने के लिए एलजीबीटी व्यक्ति की पसंद उनकी व्यक्तिगत पसंद का अभ्यास है, और उनकी स्वायत्तता और आत्मनिर्णय की अभिव्यक्ति है"।

65. Which one of the following cases pertains to the constitutionality of Section 497 IPC? / निम्नलिखित में से कौन सा मामला आईपीसी की धारा 497 की संवैधानिकता से संबंधित है?

- Joseph Shine v. Union of India (AIR 2018 SC 1321)/ जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ (एआईआर 2018 एससी 1321]
- Sakshi v. Union of India (AIR 2004 SC 3566) / साक्षी बनाम भारत संघ (एआईआर 2004 एससी 3566)
- Common Cause v. Union of India (AIR 2018 SC 49981 / कॉमन कॉज़ बनाम भारत संघ (एआईआर 2018 एससी 49981
- Social Action Forum for Manav Adhikar v. Union of India (AIR 2018 SC 4135] / मानव अधिकार के लिए सोशल एक्शन फोरम बनाम भारत संघ (एआईआर 2018 एससी 4135)

Ans.(a)

Linked Provisions:-

- Section 198 (2)** - defines that only the husband can be the aggrieved party. (CR.P.C)
- Section 497** - defines punishment for adultery. (IPC)
- Article 14** - Right to equality - Adultery only prosecuted men and women and hence, it was considered to be a violation of Article 14. (CONSTITUTION OF INDIA)
- Article 15(1)** - prohibits the State from discriminating on the grounds of sex - The law only considered the husbands as the aggrieved party and no charges against women. (CONSTITUTION)
- Article 21** - protection of life and personal liberty - Women were treated as the property of their husbands under this law, which is against their basic dignity and individuality. (COI)

Explanation:- The court made a significant legal past decision by declaring this law unlawful. In the current situation, liberalism and equality have seized control of the earth. Legislative changes are desired to do rid of laws that discriminate against women. Adultery not only diminishes a woman's dignity but also discriminates between men and women.

Article 15(3) of the Indian Constitution gives states the authority to enact special laws for women and children, preventing the provision's discrimination. But the whole argument of declaring it unlawful is

Linking Laws is a Professional Institute provide
AI based Smart Preparation for

Judicial Service Exams & other Law Related Exam in India

(UP PCS(J), RJS, MPCJ, CG PCS(J), DJS, BJS, APO, ADPO, JLO, APP etc.)



Scan this
QR Code to
Linking Laws BIOs



indirectly removing the protection of the institution of marriage that was there when this law was in existence.

लिंकिंग प्रावधान:-

1. **धारा 198(2)** - परिभाषित करती है कि केवल पति ही पीड़ित पक्ष हो सकता है। (सी.आर.पी.सी.)
2. **धारा 497** - व्यभिचार के लिए सजा को परिभाषित करती है। (आईपीसी)
3. **अनुच्छेद 14** - समानता का अधिकार - व्यभिचार पर केवल पुरुषों और महिलाओं पर मुकदमा चलाया जाता है और इसलिए, इसे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना जाता है। (भारत का संविधान)
4. **अनुच्छेद 15(1)** - राज्य को लिंग के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है - कानून केवल पतियों को पीड़ित पक्ष मानता है और महिलाओं के खिलाफ कोई आरोप नहीं है। (संविधान)
5. **अनुच्छेद 21** - जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा - इस कानून के तहत महिलाओं को उनके पतियों की संपत्ति माना गया, जो उनकी बुनियादी गरिमा और व्यक्तित्व के खिलाफ है। (सीओआई)

स्पष्टीकरण:- न्यायालय ने इस कानून को गैरकानूनी घोषित करके एक महत्वपूर्ण कानूनी निर्णय लिया। वर्तमान स्थिति में उदारवाद और समानता ने पृथ्वी पर कब्जा कर लिया है। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव करने वाले कानूनों से छुटकारा पाने के लिए विधायी परिवर्तन वांछित हैं। व्यभिचार न केवल एक महिला की गरिमा को कम करता है बल्कि पुरुषों और महिलाओं के बीच भेदभाव भी करता है।

भारतीय संविधान का **अनुच्छेद 15(3)** राज्यों को प्रावधान के भेदभाव को रोकने के लिए महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कानून बनाने का अधिकार देता है। लेकिन इसे गैरकानूनी घोषित करने का पूरा तर्क परोक्ष रूप से विवाह संस्था के संरक्षण को हटा रहा है जो तब था जब यह कानून अस्तित्व में था।

66. Which one of the following cases refers to "Conspiracy under Section 27 of Indian Evidence Act? / निम्नलिखित में से कौन सा मामला "भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत षडयंत्र" को संदर्भित करता है?

- (a) Pulkuri Kottaya v. Emperor (AIR 1947 PC 67) / पुलुकुरी कोट्टया बनाम सम्राट (एआईआर 1947 पीसी 67)
- (b) Bishwanath Prasad V. Dwarka Prasad [AIR 1974 SC 117] / बिश्वनाथ प्रसाद बनाम द्वारका प्रसाद [एआईआर 1974 एससी 117]
- (c) Jayantibhai Bhenkarbhai v. State of Gujarat (AIR 2002 SC 165) / जयंतीभाई भेंकरभाई बनाम गुजरात राज्य (एआईआर 2002 एससी 165)
- (d) Mohd Khailid v. State of WEst Bengal (AIR 2002 SC 334) / मोहम्मद खालिद बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (एआईआर 2002 एससी 334)

Ans.(a)

Linked Provisions:-

1. **Section 25-** Confession to police-officer not to be proved.
2. **Section 26-** Confession by accused while in custody of police not to be proved against him.
3. **Section 27-** how much of information received from accused may be proved.

Explanation:- Pulkuri Kottaya case clarified that only that part of a confessional statement would be taken into account, which may lead to discovery of fact, and that discovery should be a physical object and not only a mental fact.

Appellant while making the statement does not clarify that they have killed the persons using their spear and sticks. That's why their evidence is not admitted and therefore cannot be the sole ground for the conviction of the accused.

लिंकिंग प्रावधान:-

1. **धारा 25-** पुलिस-अधिकारी को दी गई स्वीकारोक्ति को साबित न किया जाना।
2. **धारा 26-** पुलिस हिरासत में रहते हुए आरोपी द्वारा कबूल किया गया बयान उसके खिलाफ साबित नहीं किया जाएगा।
3. **धारा 27-** आरोपी से प्राप्त जानकारी में से कितनी को साबित किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण:- पुलुकुरी कोट्टया मामले में स्पष्ट किया गया कि इकबालिया बयान के केवल उस हिस्से को ही ध्यान में रखा जाएगा, जिससे तथ्य की खोज हो सकती है, और वह खोज एक भौतिक वस्तु होनी चाहिए, न कि केवल एक मानसिक तथ्य।

अपीलकर्ता ने बयान देते समय यह स्पष्ट नहीं किया कि उन्होंने अपने भाले और लाठियों का उपयोग करके व्यक्तियों को मार डाला है। इसीलिए उनके साक्ष्य को स्वीकार नहीं किया जाता है और इसलिए यह अभियुक्त को दोषी ठहराने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है।

67. Under which Section of CrPC, a person who is avoiding exccution of a warrant may be proclaimed absconder? / सीआरपीसी की किस धारा के तहत वारंट की तामील से बचने वाले व्यक्ति को भगोड़ा घोषित किया जा सकता है?

- (a) Section 81 / धारा 81
- (b) Section 83 / धारा 83
- (c) Section 82 / धारा 82
- (d) Section 84 / धारा 84

Ans.(c)

Linked Provisions:-

1. **Section- 134(2)** Service or notification of order.
2. **Section- 457(2)** procedure by police upon seizure of property.

Explanation:- Section 82- Proclamation for person absconding- If any Court has reason to believe (whether after taking evidence or not) that any person against whom a warrant has been issued by it has absconded or is concealing himself so that such warrant cannot be executed, such Court may publish a written proclamation requiring him to appear at a specified place and at a specified time not less than thirty days from the date of publishing such proclamation.

लिंकिंग प्रावधान:-

1. **धारा-134(2)** आदेश की तामील या अधिसूचना।
2. **धारा- 457(2)** पुलिस द्वारा संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया।

स्पष्टीकरण:- धारा 82- फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा- यदि किसी न्यायालय के पास यह विश्वास करने का कारण है (चाहे सबूत लेने के बाद





या नहीं) कि कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ वारंट जारी किया गया है वह फरार हो गया है या खुद को छुपा रहा है ताकि ऐसा वारंट जारी न किया जा सके निष्पादित होने पर, ऐसा न्यायालय एक लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकता है, जिसमें उसे ऐसी उद्घोषणा प्रकाशित होने की तारीख से कम से कम तीस दिन के भीतर एक निर्दिष्ट स्थान पर और एक निर्दिष्ट समय पर उपस्थित होने की आवश्यकता होगी।

68. 'Offer' or 'Proposal' is defined in Indian Contract Act in / 'प्रस्ताव' या 'प्रस्थापना' को भारतीय संविदा अधिनियम में परिभाषित किया गया है

- Section 2(a) / धारा 2(क)
- Section 2(b) / धारा 2(ख)
- Section 2 (c) / धारा 2 (ग)
- Section 2(d) / धारा 2(घ)

Ans.(a)

Linked Provisions:-

- Section 3-** Communication, acceptance and revocation of Proposals.
- Sections 5-** Revocation of Proposals and acceptance.

Explanation:- Section 2(a)- A person is said to make a proposal when he signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal.

लिंकिंग प्रावधान:-

- धारा 3-** प्रस्तावों की संसूचना, स्वीकृति और निरस्तीकरण।
- धारा 5-** प्रस्तावों का निरस्तीकरण एवं स्वीकृति।

स्पष्टीकरण:- धारा 2 (ए) - एक व्यक्ति को एक प्रस्ताव देने के लिए तब कहा जाता है जब वह दूसरे को ऐसे कार्य या परहेज के लिए दूसरे की सहमति प्राप्त करने की दृष्टि से कुछ भी करने या करने से परहेज करने की अपनी इच्छा का संकेत देता है, ऐसा कहा जाता है एक प्रस्ताव बनाना

69. An agreement not enforceable by law is / कोई करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है

- valid / वैध
- invalid / अमान्य
- void / शून्य
- voidable / शून्यकरणीय

Ans.(c)

Linked Provisions:-

- Section 10-** when agreements are Contracts.
- Section 11-** Voidability of agreements without free consent.
(Void agreements)- 24-30
- Section 26-** Agreement in restraint of marriage, void.
- Section 27-** agreement in restraint of trade, void.
- Section 28-** Agreement in restraint of legal proceeding, void.
- Section 29-** agreement void for uncertainty.
- Section 30-** Agreement by way of wager, void.

Explanation:- Section 2(e) - Every promise and every set of promises, forming the consideration for each other, is an agreement.

लिंकिंग प्रावधान:-

- धारा 10-** जब करार संविदा होते हैं।
- धारा 11-** स्वतंत्र सहमति के बिना करारों की शून्यता।
(शून्य समझौते)- 24-30
- धारा 26-** विवाह में बाधा डालने वाला करार, शून्य।
- धारा 27-** व्यापार को बाधित करने वाला करार, शून्य।
- धारा 28-** कानूनी कार्यवाही में बाधा डालने वाला करार, शून्य।
- धारा 29-** अनिश्चितता के कारण करार शून्य।
- धारा 30-** दांव के माध्यम से किया गया करार, शून्य।

स्पष्टीकरण:- धारा 2(ई) - प्रत्येक वचन और वचनों का प्रत्येक संवर्ग, जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल बनाते हैं, एक करार है।

70. The communication of a proposal is complete when it comes to the / किसी प्रस्थापना की संसूचना तभी पूरी होती है जब वह पर आता है

- hands of the person to whom it is made / उस व्यक्ति के हाथ जिसके लिए यह बनाया गया है
- knowledge of the person to whom it is made / उस व्यक्ति का ज्ञान में जिसके लिए यह बनाया गया है
- office of the person to whom it is made / उस व्यक्ति का कार्यालय जिसके लिए यह बनाया गया है
- residence of the person to whom it made / उस व्यक्ति का निवास जिसे यह बनाया गया है

Ans.(b)

Linked Provisions:- Chapter 1- communication, revocation and acceptance of proposal (3-9)

- Section 3-** communication, revocation and acceptance of proposal

2. Case- Lalman Shukla vs Gauri Datt section(4).

Explanation:- Section 4- Communication when complete- The communication of a proposal is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made.

The communication of an acceptance is complete,— as against the proposer, when it is put in a course of transmission to him so as to be out of the power of the acceptor; as against the acceptor, when it comes to the knowledge of the proposer.

लिंकिंग प्रावधान:- अध्याय 1- संचार, प्रस्ताव का निरस्तीकरण और स्वीकृति (3-9)

- धारा 3-** संचार, प्रस्ताव का निरस्तीकरण एवं स्वीकृति
- केस-** लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त धारा(4)।

स्पष्टीकरण:- धारा 4- संसूचना पूर्ण होने पर- किसी प्रस्ताव का संप्रेषण तब पूर्ण होता है जब यह उस व्यक्ति को पता चल जाता है जिससे यह किया गया है।

किसी स्वीकृति का संचार पूर्ण होता है, - प्रस्तावक के विपरीत, जब इसे उसे ट्रांसमिशन के क्रम में रखा जाता है ताकि स्वीकारकर्ता की शक्ति से बाहर हो; स्वीकर्ता के विरुद्ध, जब यह प्रस्तावक के ज्ञान में आता है।

71. Which statements is not true? / कौन सा कथन सत्य नहीं है?





- (a) A proposal is revoked by the communication of notice of revocation by the proposer to the other party./ प्रस्तावक द्वारा दूसरे पक्ष को प्रतिसंहत की सूचना के संसूचना द्वारा एक प्रस्थापना प्रतिसंहत किया जाता है।
- (b) A proposal is revoked by the lapse of time prescribed in such proposal for its acceptance./ ऐसे प्रस्थापना में उसकी प्रतिग्रहण के लिए निर्धारित समय बीत जाने पर प्रस्थापना को प्रतिसंहत कर दिया जाता है।
- (c) A proposal is revoked by the lapse of reasonable time, if no time is prescribed. / यदि कोई समय निर्धारित नहीं है, तो उचित समय बीत जाने पर प्रस्थापना को प्रतिसंहत कर दिया जाता है।
- (d) A proposal is revoked by not meeting at the time prescribed. / निर्धारित समय पर बैठक न करने पर प्रस्थापना को प्रतिसंहत कर दिया जाता है।

Ans.(d)

Linked Provisions:-

- Section 6-** Revocation how made.
- Section 130-** Revolution of continuing guarantee.
- Section 131-** Revolution of continuing guarantee by surety's death.

Explanation:- Section 5- Revocation of Proposals and acceptance- A proposal may be revoked at any time before the communication of its acceptance is complete as against the proposer, but not afterwards. An acceptance may be revoked at any time before the communication of the acceptance is complete as against the acceptor, but not afterwards.

लिंकिंग प्रावधान:-

- धारा 6-** प्रतिसंहत कैसे किया गया।
 - धारा 130-** सतत गारंटी की क्रांति।
 - धारा 131-** जमानतदार की मृत्यु द्वारा गारंटी जारी रखने की क्रांति।
- स्पष्टीकरण:- धारा 5-** प्रस्ताव और प्रतिग्रहण का प्रतिसंहत - किसी प्रस्ताव को प्रस्तावक के विरुद्ध उसकी स्वीकृति की सूचना पूरी होने से पहले किसी भी समय रद्द किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं। स्वीकृति की सूचना स्वीकारकर्ता के विरुद्ध पूरी होने से पहले किसी भी समय स्वीकृति रद्द की जा सकती है, लेकिन बाद में नहीं।

72. The acceptance must be / प्रतिग्रहण होना चाहिए

- (a) received within a week / एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हो गया
- (b) received within a fortnight / एक पखवाड़े के भीतर प्राप्त हुआ
- (c) absolute and unqualified / पूर्ण और बिना शर्त
- (d) absolute and qualified / पूर्ण और शर्त के साथ

Ans.(c)

Linked Provisions:-

- Section 8-** Acceptance by performing conditions, or receiving consideration.
- Section 5-** Revocation of Proposals and acceptance.

Explanation:- Section 7- Acceptance must be absolute- In order to convert a proposal into a promise the acceptance must-

- (1) be absolute and unqualified;
- (2) be expressed in some usual and reasonable manner, unless the proposal prescribes the manner in which it is to be accepted.

लिंकिंग प्रावधान:-

- धारा 8-** शर्तों का पालन करके स्वीकृति, या प्रतिफल प्राप्त करना।
- धारा 5-** प्रस्तावों का निरस्तीकरण एवं स्वीकृति।

स्पष्टीकरण:- धारा 7- स्वीकृति आत्यन्तिक होनी चाहिए- किसी प्रस्ताव को वादे में बदलने के लिए स्वीकृति अवश्य होनी चाहिए-

- (1) आत्यन्तिक और अविशेषित होना;
- (2) कुछ प्रायिक और उचित तरीके से व्यक्त किया जाना चाहिए, जब तक कि प्रस्ताव उस तरीके को निर्धारित न करे जिसमें इसे स्वीकार किया जाना है।

73. Who is competent to contract? / संविदा करने के लिए कौन सक्षम है?

- (a) Person of unsound mind / विकृतचित्त व्यक्ति
- (b) Person who has not attained majority / वह व्यक्ति जिसने वयस्कता प्राप्त नहीं की है
- (c) Person who has been disqualified from contracting by the Court / वह व्यक्ति जिसे न्यायालय द्वारा संविदा करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया हो
- (d) Person who has been debarred from contesting any elections. / व्यक्ति जिसे किसी भी चुनाव लड़ने से रोक दिया गया है।

Ans.(d)

Linked Provisions:- Section 315- Accused Person to be competent witness.

Explanation:-Section 11- Who are competent to contract- Every person is competent to contract who is of the age of majority according to the law to which he is subject,¹ and who is of sound mind and is not disqualified from contracting by any law to which he is subject.

लिंकिंग प्रावधान:- धारा 315- आरोपी व्यक्ति का सक्षम साक्षी होना।

स्पष्टीकरण:-धारा 11- संविदा करने के लिए कौन सक्षम हैं- प्रत्येक व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम है जो उस कानून के अनुसार वयस्कता की आयु का है जिसके अधीन वह है,¹ और जो स्वस्थ दिमाग का है और किसी भी कारण से संविदा करने के लिए अयोग्य नहीं है वह कानून जिसके अधीन वह है।

74. Consent is said to be free when it is caused by / सम्मति तब स्वतंत्र कही जाती है जब वह इसके कारण होती है

- (a) Coercion / प्रपीड़न
- (b) fraud / कपट
- (c) mistake / भूल
- (d) voluntary will of the parties / पक्षों की स्वैच्छिक इच्छा

Ans.(d)

Linked Provisions:-

- Section 13-** consent
- Section 88-** Act not intended to cause death done by consent in good faith For person's benefit. (IPC)





3. **Section 89-** Act done in good faith for benefit of child or insane person, by or by consent of guardian.(IPC)

Explanation:- Free consent defined- Consent is said to be free when it is not caused by-

- (1) coercion, as defined in section 15, or
- (2) undue influence, as defined in section 16, or
- (3) fraud, as defined in section 17, or
- (4) misrepresentation, as defined in section 18, or
- (5) mistake, subject to the provisions of sections 20, 21 and 22. Consent is said to be so caused when it would not have been given but for the existence of such coercion, undue influence, fraud, misrepresentation or mistake.

लिंकिंग प्रावधान:-

1. **धारा 13-** सम्मति
2. **धारा 88-** किसी व्यक्ति के लाभ के लिए सद्भावनापूर्वक सम्मति से किया गया कार्य मृत्यु कारित करने का इरादा नहीं है। (IPC)
3. **धारा 89-** अभिभावक की सम्मति से या बच्चे के लाभ के लिए सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य।(IPC)

स्पष्टीकरण:- स्वतंत्र सम्मति परिभाषित- सम्मति तब स्वतंत्र कही जाती है जब वह इसके कारण न हो-

- (1) प्रपीडन , जैसा कि धारा 15 में परिभाषित है, या
- (2) असम्यक असर , जैसा कि धारा 16 में परिभाषित है, या
- (3) कपट , जैसा कि धारा 17 में परिभाषित है, या
- (4) दुर्यपदेशन , जैसा कि धारा 18 में परिभाषित है, या
- (5) भूल , धारा 20, 21 और 22 के प्रावधानों के अधीन। सम्मति को तब कहा जाता है जब यह इस तरह की प्रपीडन , असम्यक असर , कपट , दुर्यपदेशन या भूल के अस्तित्व के अलावा नहीं दी गई होती।

75. **Two or more persons are said to consent when / कहा जाता है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों की सम्मति कब होती है**

- (a) they agree / वे सहमत हैं
- (b) they agree upon the same thing/ वे एक ही बात पर सहमत हैं
- (c) they agree upon the same thing in the same sense / वे एक ही बात पर एक ही अर्थ में सहमत हैं
- (d) they agree upon the same thing in the same sense at the given location./ वे दिए गए स्थान पर एक ही अर्थ में एक ही बात पर सहमत होते हैं।

Ans.(c)

Linked Provisions:-

1. **Section 14-** Free consent
2. **Section 88-** Act not intended to cause death done by consent in good faith For person's benefit. (IPC)
3. **Section 89-** Act done in good faith for benefit of child or insane person, by or by consent of guardian.(IPC)

Explanation:- Section 13- Consent defined.—Two or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense.

Consensus ad idem means meeting of minds, mostly used in contract law, which refers to the fact that there is an agreement among the parties to contract. It simply means that there exists a mutual agreement among all parties to a contract.

लिंकिंग प्रावधान:-

1. **धारा 14-** स्वतंत्र सम्मति
2. **धारा 88-** किसी व्यक्ति के लाभ के लिए सद्भावनापूर्वक सम्मति से किया गया कार्य मृत्यु कारित करने का इरादा नहीं है। (IPC)
3. **धारा 89-** अभिभावक की सम्मति से या बच्चे के लाभ के लिए सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य।(IPC)

स्पष्टीकरण:- धारा 13 - सम्मति की परिभाषा - दो या दो से अधिक व्यक्तियों की सहमति तब कही जाती है जब वे एक ही बात पर एक ही भाव में सहमत होते हैं।

आम सम्मति विज्ञापन का अर्थ है दिमागों का मिलना, ज्यादातर संविदा कानून में उपयोग किया जाता है, जो इस तथ्य को संदर्भित करता है कि संविदा करने के लिए पार्टियों के बीच एक करार है। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी संविदा के सभी पक्षों के बीच आपसी सम्मति होती है।

76. **When consent to an agreement is caused by coercion. The agreement is : / जब किसी करार पर सम्मति प्रपीडन के कारण होती है। करार है:**

- (a) valid contract \वैध संविदा
- (b) voidable contract / शून्यकरणीय संविदा
- (c) void contract / शून्य संविदा
- (d) invalid contract / अमान्य संविदा

Ans.(b)

Linked Provisions:-

1. **Section 2(g)** An agreement not enforceable by law is said to be void.
2. **Section 2 (h)** An agreement enforceable by law is a contract.
3. **Section (i)** An agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties thereto, but not at the option of the other or others, is a voidable contract.
4. **Section 10-** when agreements are Contracts.
5. **Section 11-** Voidability of agreements without free consent. (Void agreements)- 24-30
6. **Section 26-** Agreement in restraint of marriage,void.
7. **Section 27-** agreement in restraint of trade , void.
8. **Section 28-** Agreement in restraint of legal proceeding,void.

Explanation:- Section 20- When consent to an agreement is caused by coercion ,fraud,or misrepresentation the agreement is contract voidable at the consent of the party whose consent was so caused.

लिंकिंग प्रावधान :-

1. **धारा 2(g)-** वह करार जो विद्धित: पर्वार्तानिये न हो शून्य कहलाता है।
2. **धारा 2 (h)-** वह करार जो विद्धित: पर्वार्तानिये हो शून्य कहलाता है





3. धारा 2 (i)- एक करार जो पक्षकारों में एक या एक से अधिक विकल्प पर तोह विधि द्वारा पर्वतानी हो किन्तु अन्य पक्षकारों के विकल्प पर नहीं शून्यकरणीय संविदा है।
4. धारा 10- जब करार संविदा होते हैं।
5. धारा 11- स्वतंत्र सहमति के बिना करार की शून्यता। (शून्य समझौते)- 24-30
6. धारा 26- विवाह में बाधा डालने वाला करार , शून्य।
7. धारा 27- व्यापार में बाधा उत्पन्न करने वाला करार , शून्य।
8. धारा 28- कानूनी कार्यवाही में बाधा डालने वाला करार , शून्य।

स्पष्टीकरण:- जब किसी करार के लिए सहमति जबरदस्ती, धोखाधड़ी या गलत कथन के कारण होती है तो करार उस पक्ष की सहमति पर रद्द करने योग्य संविदा होता है जिसकी सहमति इस प्रकार ली गई थी।

77. An agreement is void / एक करार शून्य है

- (a) if the consideration is unlawful in part/ यदि प्रतिफल आंशिक रूप से विधिविरुद्ध है
- (b) if the consideration is not provided by the parties / यदि पक्षों द्वारा प्रतिफल प्रदान नहीं किया जाता है
- (c) if the consideration is to be given in future./ यदि भविष्य में प्रतिफल दिया जाना है।
- (d) if the consideration is paid in the past./ यदि प्रतिफल का भुगतान अतीत में किया गया है।

Ans.(a)

Linked Provisions:-

1. **Section 2 (e)**- Every promise and every set of promises, forming the consideration for each other, is an agreement.
2. **Section 10**- What agreements are contracts—All agreements are contracts if they are made by the free consent of parties competent to contract, for a lawful consideration and with a lawful object, and are not hereby expressly declared to be void.
3. **Section 26**- Agreement in restraint of marriage,void.
4. **Section 27**- agreement in restraint of trade , void.
5. **Section 28**- Agreement in restraint of legal proceeding,void.
6. **Section 29**- agreement void for uncertainty.
7. **Section 30**- Agreement by way of wager, void.

Explanation:- When an agreement by unlawful means to be void .

Section 24- Agreements void, if considerations and objects unlawful in part.—If any part of a single consideration for one or more objects, or any one or any part of any one of several considerations for a single object, is unlawful, the agreement is void.

लिंकिंग प्रावधान:-

1. धारा 2 (e) - हेर एक वचन और ऐसे वचनों का हेर एक संवर्ग , तोह एक दुसरे के लिए प्रतिफल हो करार है ।
2. धारा 10- कौन से करार संविदाएं हैं- सभी करार संविदाएं हैं यदि वे संविदा करने के लिए सक्षम पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से, विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए किसी विधिपूर्ण किसी उद्देश्य से किये गए हैं और एतद द्वारा अभिवक्तः शून्य घोषित नहीं किये गए हैं ।
3. धारा 26- विवाह में बाधा डालने वाला करार , शून्य।

4. धारा 27- व्यापार को बाधित करने वाला करार , शून्य।
5. धारा 28- कानूनी कार्यवाही में बाधा डालने वाला करार , शून्य।
6. धारा 29- अनिश्चितता के कारण करार शून्य।
7. धारा 30- दांव के माध्यम से किया गया करार , शून्य।

स्पष्टीकरण:- जब गैरकानूनी तरीकों से किया गया कोई करार शून्य हो जाता है।

धारा 24- यदि विचार और वस्तुएं आंशिक रूप से गैरकानूनी हैं, तो करार शून्य हो जाता है। - यदि एक या अधिक वस्तुओं के लिए एक ही विचार का कोई भी हिस्सा, या एक ही वस्तु के लिए कई विचारों में से किसी एक का कोई भी हिस्सा, गैरकानूनी है, तो करार गैरकानूनी है। शून्य है।

78. An agreement in restraint of marriage is /विवाह को रोकने वाला एक करार है

- (a) valid/ वैध
- (b) void /शून्य
- (c) totally unacceptable / पूरी तरह से अस्वीकार्य
- (d) voidable / शून्यकरणीय

Ans.(b)

Linked Provisions:-

1. **Section 2(j)** -A contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable.
2. **Section 2(g)** An agreement not enforceable by law is said to be void.
3. **Section 19**- Voidability of agreement without free consent.
4. **Section 20**- Agreement void where both parties are under mistake as to matter of fact.
5. **Section 24**- Agreement void,if considerations and objects unlawful in part.
6. **Section 25**- agreement without consideration,void unless it is in writing and registered.
7. **Section 27**- agreement in restraint of trade, void.
8. **Section 35**- which are contingent on happening of specified, event within fixed time.
9. **Section 36**- Agreement contingent on impossible event void.
10. **Section 65**- Obligation of person who has received advantage under void agreement.

Void Contract.

Explanation:- Section 26-Agreement in restraint of marriage, void.—Every agreement in restraint of the marriage of any person, other than a minor, is void.

लिंकिंग प्रावधान :-

1. धारा 2(j) - वह करार जो विद्विहतः पर्वतानिये नहीं रह जाता है वह तब शून्य हो जाता है जब वह लागू होना बंद हो जाता है।
2. धारा 2(g)- वह करार जो विद्विहतः पर्वतानिये न हो शून्य कहलाता है।
3. धारा 19- स्वतंत्र सहमति के बिना करार की शून्यता।
4. धारा 20- जहां तथ्य के मामले में दोनों पक्षों की गलती हो तो करार शून्य हो जाता है।
5. धारा 24- यदि विचार और उद्देश्य आंशिक रूप से गैरकानूनी हों तो करार शून्य हो जाता है।





6. धारा 25- बिना प्रतिफल के करार , तब तक शून्य, जब तक वह लिखित और पंजीकृत न हो।
7. धारा 27- व्यापार में बाधा उत्पन्न करने वाला करार , शून्य।
8. धारा 35- जो निश्चित समय के भीतर निर्दिष्ट, घटना के घटित होने पर निर्भर हैं।
9. धारा 36- असंभव घटना पर आकस्मिक करार शून्य।
10. धारा 65- शून्य करार के तहत लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति का दायित्व।

शून्यसंविदा

स्पष्टीकरण:- धारा 26- विवाह का अवरोधक करार शून्य है- ऐसा हेर करार शून्य है जो अप्रत्याप से भिन्न किसी वैक्ति के विवाह के अवरोधक हो।

79. **A contracts to pay B a sum of Rs. 20,000 if B's house is burnt This is : / क, ख को 20,000 रुपये का भुगतान करने का संविदा करता है, यदि बी का घर जल गया तो यह है:**

- (a) contract of wager / बाजी की संविदा
- (b) contingent contract / समाश्रित संविदा
- (c) contract of uncertainty/अनिश्चितता की संविदा
- (d) None of the above /उपरोक्त में से कोई नहीं

Ans.(b)

Linked Provisions:-

1. **Section 30-** Agreements by way of wager void.
2. **Section 32-** Enforcement of contracts contingent on an event happening.
3. **Section 33-** Enforcement of contracts contingent on an event not happening.
4. **Section 35** – which are contingent on happening of specified, event within fixed time.
5. **Section 36-** Agreement contingent on impossible event void.

Explanation:-Section 31-Contingent contract defined.—A “contingent contract is a contract to do or not to do something, if some event, collateral to such contract, does or does not happen. Illustration A contracts to pay B Rs. 10,000 if B's house is burnt. This is a contingent contract.

लिंकिंग प्रावधान :-

1. धारा 30- दांव के माध्यम से किया गया करार शून्य।
2. धारा 32- किसी घटना के घटित होने पर निर्भर संविदा का प्रवर्तन।
3. धारा 33- किसी घटना के घटित न होने पर निर्भर संविदा का प्रवर्तन।
4. धारा 35 – जो निश्चित समय के भीतर निर्दिष्ट, घटना के घटित होने पर निर्भर हैं।
5. धारा 36- असंभव घटना पर आकस्मिक करार शून्य।

स्पष्टीकरण:- धारा 31-समाश्रित संविदा " की परिभाषा - एक " समाश्रित संविदा कुछ करने या न करने का एक संविदा है, यदि ऐसे संविदा से जुड़ी कोई घटना होती है या नहीं होती है। **उदाहरण** A, B को रु. का भुगतान करने का संविदा करता है। यदि बी का घर जल गया तो 10,000 रु. यह एक आकस्मिक संविदा है।

80. **A agrees to pay B a sum of Rs. 5,000 if two straight lines should enclose a space. The agreement is : / क, ख को 5,000 रुपये का भुगतान करने के लिए सहमत है। यदि दो सीधी रेखाएँ किसी स्थान को घेरें तो करार है:**
- (a) void / शून्य

- (b) voidable / शून्यकरणीय
- (c) valid / वैध
- (d) unethical /अनैतिक

Ans.(a)

Linked Provisions:-

1. **Section 30-** Agreements by way of wager void.
2. **Section 32-** Enforcement of contracts contingent on an event happening.
3. **Section 33-** Enforcement of contracts contingent on an event not happening.
4. **Section 35** – which are contingent on happening of specified, event within fixed time.
5. **Section 31-**Contingent contract.
6. **Section (31-36)** Chapter 3 Contingent contracts.

Explanation:- Section 36- Agreement contingent on impossible events void—Contingent agreements to do or not to do anything, if an impossible event happens, are void, whether the impossibility of the event is known or not to the parties to the agreement at the time when it is made.

Illustrations (a) A agrees to pay B 1,000 rupees if two straight lines should enclose a space. The agreement is void.

लिंकिंग प्रावधान :-

1. धारा 30- दांव के माध्यम से किया गया करार शून्य।
2. धारा 32- किसी घटना के घटित होने पर निर्भर संविदा का प्रवर्तन।
3. धारा 33- किसी घटना के घटित न होने पर निर्भर संविदा का प्रवर्तन।
4. धारा 35 – जो निश्चित समय के भीतर निर्दिष्ट, घटना के घटित होने पर निर्भर हैं।
5. धारा 31-आकस्मिक संविदा।
6. धारा (31-36) अध्याय 3 आकस्मिक संविदा।

स्पष्टीकरण:- धारा 36- असंभव घटनाओं पर समाश्रित संविदा शून्य है – समाश्रित करार ,जो किसी असंभव घटना के घटित होने पर कोई बात करने या न करने के लिए हो , शून्य है चाहे घटना के असम्भवता करार के पक्षकारों को उस समय ज्ञात थी की नहीं जब करार किया गया था।

उदाहरण (ए) यदि दो सीधी रेखाएँ एक स्थान घेरती हैं तो ए बी को 1,000 रुपये का भुगतान करने के लिए सहमत है। करार शून्य है।

81. **A and B make a contract grounded on the erroneous belief that a particular debt is barred by the Indian Law of Limitations This contract is : / क और ख इस गलत धारणा के आधार पर एक संविदा करते हैं कि एक विशेष ऋण भारतीय सीमाओं की विधि द्वारा वर्जित है। यह संविदा है:**

- (a) void / शून्य
- (b) voidable / शून्यकरणीय
- (c) illegal / अवैध
- (d) opposed to public policy / लोक नीति के विरुद्ध

Ans.(a)

Linked Provisions:-

1. **Section 20-** Agreement void where both parties are under mistake as to matter of fact.
2. **Section 22-** Contract caused by mistake of one party as to matter of fact.





3. Section 23- what consideration and objects are lawful, and what not.

Explanation :- Section 21- Effect of mistakes as to law.—A contract is not voidable because it was caused by a mistake as to any law in force in India; but a mistake as to a law not in force in India has the same effect as a mistake of fact.

Illustration:- A and B make a contract grounded on the erroneous belief that a particular debt is barred by the Indian Law of Limitation; the contract is not voidable.

लिंकिंग प्रावधान :-

- धारा 20-** जहां तथ्य के मामले में दोनों पक्षों की गलती हो तो करार शून्य हो जाता है।
- धारा 22-** तथ्य के संबंध में एक पक्ष की गलती के कारण हुआ संविदा ।
- धारा 23-** कौन सा विचार और उद्देश्य वैध हैं, और क्या नहीं।

स्पष्टीकरण:- धारा 21- कानून के संबंध में गलतियों का प्रभाव।—एक संविदा शून्यकरणीय नहीं है क्योंकि यह [भारत] में लागू किसी भी कानून के संबंध में गलती के कारण हुआ था; लेकिन भारत में लागू नहीं होने वाले कानून के बारे में गलती का प्रभाव तथ्य की गलती के समान ही होता है।

उदाहरण:- ए और बी इस गलत धारणा के आधार पर संविदा करते हैं कि एक विशेष ऋण भारतीय सीमा कानून द्वारा वर्जित है; संविदा रद्द करने योग्य नहीं है।

82. A, who is B's 'mukhtar promises to exercise his influence, as such, with B in favour of C, and C promises to pay Rs. 20,000 to A. The agreement is : / क, जो ख का 'मुख्तार' है इस प्रकार, ख के साथ ग के पक्ष में अपने प्रभाव का प्रयोग करने का वचन करता है, और ग 20,000 रुपये का भुगतान करने का वचन देता है। करार है:

- voidable because it is immoral / शून्यकरणीय क्योंकि यह अनैतिक है
- void because it is immoral / शून्य क्योंकि यह अनैतिक है
- oppose to public policy / लोक नीति के विरुद्ध
- void because consideration is unlawful./ शून्य क्योंकि प्रतिफल विधिविरुद्ध है।

Ans.(b)

Linked Provisions:-

- Section 20-** Agreement void where both parties are under mistake as to matter of fact.
- Section 22-** Contract caused by mistake of one party as to matter of fact.
- Section 21-** Effect of mistakes as to law.

Explanation :- Section 23- What considerations and objects are lawful, and what not—The consideration or object of an agreement is lawful, unless—
It is forbidden by law; or

Is of such a nature that if permitted, it would defeat the provisions of any law; or

Is fraudulent ;or

Involves or implies injury to the person or property of another; or

The Court regards it as immoral, or opposed to public policy In each of these cases, the consideration or object of an agreement is said to be unlawful. Every agreement of which the object or consideration is unlawful is void.

Illustration j) A, who is B's mukhtar, promises to exercise his influence, as such, with B in favour of C, and C promises to pay 1,000 rupees to A. The agreement is void, because it is immoral."

लिंकिंग प्रावधान :-

- धारा 20-** जहां तथ्य के मामले में दोनों पक्षों की गलती हो तो करार शून्य हो जाता है।
- धारा 22-** तथ्य के संबंध में एक पक्ष की गलती के कारण हुआ संविदा ।
- धारा 21-** कानून के संबंध में गलतियों का प्रभाव।

स्पष्टीकरण:- धारा 23- कौन से विचार और उद्देश्य वैध हैं, और क्या नहीं— किसी समझौते का विचार या उद्देश्य वैध है, जब तक कि— यह कानून 4 द्वारा निषिद्ध है।

यह इस प्रकार का है कि यदि अनुमति दी गई तो यह किसी भी कानून के प्रावधानों को विफल कर देगा।

कपटपूर्ण है।

इसमें दूसरे के व्यक्ति या संपत्ति को चोट पहुंचाना या शामिल करना शामिल है।

न्यायालय इसे अनैतिक मानता है, या सार्वजनिक नीति के विपरीत मानता है। इनमें से प्रत्येक मामले में, किसी करार के विचार या उद्देश्य को गैरकानूनी कहा जाता है। प्रत्येक वह समझौता जिसका उद्देश्य या प्रतिफल गैरकानूनी है, शून्य है।

उदाहरण (जे) ए, जो बी का मुख्तार है, अपने प्रभाव का प्रयोग करने का वादा करता है, जैसे, बी के साथ सी के पक्ष में, और सी ए को 1,000 रुपये का भुगतान करने का वादा करता है। करार शून्य है, क्योंकि यह अनैतिक है।

83. A pay Rs. 10,000 to B for manufacturing a machine. When it is partly manufactured, the contract is discharged by frustration. What is the remedy available to parties? / क एक मशीन बनाने के लिए ख को 10,000 रुपये का भुगतान करता है। जब यह आंशिक रूप से निर्मित हो जाता है, तो विफलकरण में संविदा समाप्त हो जाती है। पक्षों के लिए क्या उपाय उपलब्ध है?

- A can recover Rs. 10,000 from B / क ख से 10,000 रुपये की वसूली कर सकता है।
- A need not pay any further amount to B / क को ख को कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है
- B can retain Rs. 10,000 / ख 10,000 रुपये रख सकता है।
- B is entitled only to expenses incurred before the time of discharge. / ख केवल छुट्टी के समय से पहले किए गए खर्चों का हकदार है।

Ans.(d)

Linked Provisions:- Chapter 4- (37-67)

Performance of reciprocal promises (51-58).

Linking Laws is a Professional Institute provide

AI based Smart Preparation for

Judicial Service Exams & other Law Related Exam in India

(UP PCS(J), RJS, MPCJ, CG PCS(J), DJS, BJS, APO, ADPO, JLO, APP etc.)



Scan this
QR Code to
Linking Laws BIODs



1. **Section 36-** Agreement contingent on impossible event void.

2. **Section 29-** Agreements void for uncertainty.

Explanation:- Section 56- An agreement to do an act impossible in itself is void.

Contract to do an act afterwards becoming impossible or unlawful- A contract to do an act which, after the contract is made, becomes impossible, or, by reason of some event which the promisor could not prevent, unlawful, becomes void when the act becomes impossible or unlawful.

It is also known as Frustration of contract.

लिंकिंग प्रावधान :- अध्याय 4- (37-67)

पारस्परिक वादों का निष्पादन (51-58)।

1. **धारा 36-** असंभव घटना पर आकस्मिक करार शून्य।

2. **धारा 29-** संविदा अनिश्चितता के कारण शून्य।

स्पष्टीकरण:- धारा 56- किसी असंभव कार्य को करने का करार अपने आप में शून्य है।

किसी कार्य को करने का संविदा बाद में असंभव या गैरकानूनी हो जाता है - किसी ऐसे कार्य को करने का संविदा, जो संविदा करने के बाद असंभव हो जाता है, या किसी घटना के कारण, जिसे वादा करने वाला रोक नहीं सका, गैरकानूनी हो जाता है, उस कार्य के असंभव या गैरकानूनी हो जाने पर वह संविदा शून्य हो जाता है।

इसे संविदा की विफलकरण के नाम से भी जाना जाता है।

84. **Liquidated damages is essentially a / परिनिर्धारित नुकसानी मूलतः एक है**

- Payment of money stipulated as a warning to the offending party / अपराधी पक्ष को चेतावनी के रूप में निर्धारित धन का भुगतान
- Payment of compensation determined by the court / न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रतिकर का भुगतान
- compensation arbitrarily determined by the aggrieved party / पीड़ित पक्ष द्वारा मनमाने ढंग से प्रतिकर निर्धारित किया जाना
- genuine covenanted pre-estimate of damage / नुकसानी का वास्तविक अनुबंधित पूर्व अनुमान

Ans.(d)

Linked Provisions:-

- Section 73-** Compensation for loss or damage caused by breach of contract.
- Section 74-** Compensation for breach of contract where penalty stipulated for.
- Section 75-** Party rightfully rescinding contract, entitled to compensation.
- Section (73-75)** Consequences of breach of contract. Chapter 6.

Explanation:- A party who is injured by the breach of a contract may bring an action for damages and Damages means compensation in terms of money for the loss suffered by the injured party. Thus, in contract when these damages are awarded it is known as liquidated damages.

लिंकिंग प्रावधान :-

1. **धारा 73-** संविदा के उल्लंघन के कारण हुई हानि या क्षति के लिए मुआवजा।

2. **धारा 74-** संविदा के उल्लंघन के लिए मुआवजा जहां जुर्माना निर्धारित है।

3. **धारा 75-** संविदा को उचित रूप से रद्द करने वाला पक्ष मुआवजे का हकदार है।

4. **धारा (73-75)** संविदा के उल्लंघन के परिणाम। अध्याय 6।

स्पष्टीकरण:- एक पक्ष जो संविदा के उल्लंघन से घायल हुआ है, वह नुकसान के लिए कार्रवाई कर सकता है और नुकसान का मतलब घायल पक्ष को हुए नुकसान के लिए धन के रूप में मुआवजा देना है। इस प्रकार, संविदा में जब ये हर्जाना दिया जाता है तो इसे परिसमाप्त हर्जाना कहा जाता है।

85. **Where there is a breach of contract, special damages are awarded. / जहां संविदा भंग होती है, वहां विशेष नुकसानी दिया जाता है।**

- in all cases / सभी मामलों में
- only when there are special circumstances / केवल तभी जब विशेष परिस्थितियाँ हों
- only when there is a special loss / केवल तभी जब कोई विशेष हानि हो
- only when there is a notice of the likely special loss. / केवल तभी जब संभावित विशेष हानि की सूचना हो

Ans.(d)

Linked Provisions:-

1. **Remedies of breach of contract-**

- Damages.
- Specific performance of the Contract.
- Injunction.

2. **Section 74-** Compensation for breach of contract where penalty stipulated for.

3. **Section 75-** Party rightfully rescinding contract, entitled to compensation.

4. **Section (73-75)** Consequences of breach of contract. Chapter 6.

Explanation:- Section 73-Compensation for loss or damage caused by breach of contract—When a contract has been broken, the party who suffers by such breach is entitled to receive, from the party who has broken the contract, compensation for any loss or damage caused to him thereby, which naturally arose in the usual course of things from such breach, or which the parties knew, when they made the contract, to be likely to result from the breach of it. Such compensation is not to be given for any remote and indirect loss or damage sustained by reason of the breach.

लिंकिंग प्रावधान :-

1. संविदा भंग के उपाय-

- नुकसान,
- संविदा का विशिष्ट प्रदर्शन
- निषेधाज्ञा.

2. **धारा 74-** संविदा के उल्लंघन के लिए मुआवजा जहां जुर्माना निर्धारित है।



Scan this
QR Code to
Linking Laws BIODs



3. धारा 75- संविदा को उचित रूप से रद्द करने वाला पक्ष मुआवजे का हकदार है।

4. धारा (73-75) संविदा के उल्लंघन के परिणाम। अध्याय 6।

स्पष्टीकरण:- धारा 73- संविदा भाग से कारित हानि या नुकसान के लिए प्रतिकार - जब कोई संविदा भाग कर दी जाती है, तब वह पक्षकार, जो ऐसे भाग से छाती उठता है, उस पक्षकारपक्ष से जिसने संविदा भाग की है अपने की तद्वारा कारित किसी ऐसे हानि या नुकसान के लिए प्रतिकार पाने का हकदार है जो ऐसे घटनाओं के प्रायिक अनुक्रम में प्रकृत्या ऐसे भंग से उद्भूत हुआ है, जिसका संविदा भंग संभाव्य परिणाम होना पक्षकार उस समय जानते थीं जब उन्होंने संविदा की थी।

ऐसे प्रतिकार उस भाग के कारन उठाई गयी किसी दुराश और परोक्ष हानि या नुकसान के लिए नहीं दिया जाता है।

86. Match List-I with List-II and select the correct answer using the codes given below the lists: / सूची-I को सूची-II से सुमेलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

List-I सूची-मैं

- (a) Carlill v. Cabolic smoke Bail Co./ कार्लिल बनाम काबोलिक स्मोक बेल कंपनी।
- (b) Fisher v. Bell / फिशर बनाम बेल
- (c) Tinn v. Hoffman & Co. / टिन बनाम हॉफमैन एंड कंपनी
- (d) Harvey v. Facey / हार्वे बनाम फेसी

List-II सूची द्वितीय

- 1. Offers at large / बड़े पैमाने पर प्रस्ताव
- 2. Invitation to treat / इलाज के लिए निमंत्रण
- 3. Quotation of price / कीमत का उद्धरण
- 4. Cross offers. / प्रति प्रस्ताव

Codes

| | A | B | C | D |
|-----|---|---|---|---|
| (a) | 1 | 2 | 4 | 3 |
| (b) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| (c) | 2 | 1 | 4 | 3 |
| (d) | 4 | 3 | 2 | 1 |

Ans.(a)

Linked Provisions:-

- 1. Section 3- Communication, acceptance and Revocation of proposals.
- 2. Section 5- Revocation of proposals and acceptance.
- 3. Section 9- Promises, express and implied.
- 4. Section 2- a, b, c.

Explanation:-

- 1. Carlill v. Cabolic smoke Bail Co.-offer be made either to a specific person or persons to the world at large.
- 2. Fisher v. Bell- Invitation to treat.
- 3. Tinn v. Hoffman & Co- Cross offers [Sec 2(a), Sec 2(h), Sec 3, Sec 9]-A cross offer does not mean acceptance of the offer. No binding contract is created between the parties.

4. Harvey v. Facey- Quotation of price. [Sec 2(a), Sec 2(b), Sec 5]- an offer is different from invitation to offer.

लिकिंग प्रावधान :-

- 1. धारा 3- प्रस्तावों का संचार, स्वीकृति और निरसन।
- 2. धारा 5- प्रस्तावों का निरस्तीकरण एवं स्वीकृति।
- 3. धारा 9 - वादे, व्यक्त और निहित।
- 4. धारा 2- ए, बी, सी.

स्पष्टीकरण:-

- 1. कार्लिल बनाम काबोलिक स्मोक जमानत कंपनी-प्रस्ताव या तो किसी विशिष्ट व्यक्ति या दुनिया भर के व्यक्तियों को दिया जाएगा।
- 2. फिशर बनाम बेल- इलाज के लिए निमंत्रण।
- 3. टिन बनाम हॉफमैन एंड कंपनी- क्रॉस ऑफर [धारा 2(a), धारा 2(h), धारा 3, धारा 9 - एक क्रॉस ऑफर का मतलब प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं है। पार्टियों के बीच कोई बाध्यकारी अनुबंध नहीं बनाया गया है।
- 4. हार्वे बनाम फेसी- कीमत का उद्धरण। धारा 2(a), धारा 2(b), धारा 5 - एक प्रस्ताव प्रस्ताव के निमंत्रण से अलग है।

87. Madhukant Pathak v. The State of Jharkhand through Vigilance (ACB) was decided by Jharkhand High Court in July 2017 and it pertains to : / मधुकान्त पाठक बनाम द स्टेट ऑफ झारखंड थ्रू विजिलेंस (एसीबी) का निर्णय जुलाई 2017 में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया था और यह संबंधित है:

- (a) Voidable contract / शून्यकरणीय संविदा
- (b) tender / निविदा
- (c) void contract / शून्य संविदा
- (d) illegal contract / अवैध संविदा

Ans.(b)

Explanation:- Anant Bijay Singh J.

- 1) Heard learned counsel for the petitioner and learned counsel for the A.C.B.
- 2) The petitioner is apprehending his arrest in connection with the case registered under Sections 420, 120B, 467, 468, 471, 109, 409, 406 of the Indian Penal Code and Section 13(2) read with Section 13(i)(d) of the Prevention of Corruption Act pending in the court of learned Special Judge, Vigilance (ACB) at Ranchi. The petitioner is the treasurer of national games association committee.
- 3) The prosecution case is based upon the written report of the informant Shri Bholanath Singh stating therein that in 34th National Games, the accused persons including the petitioner by misusing their official positions have committed several acts of misappropriation and embezzlement of public fund by resorting to corrupt practices in connivance and conspiracy with several other. The allegations in nutshell are that without inviting the tender, work order was allotted and in lieu of that, no security was taken.

स्पष्टीकरण:- अनंत बिजय सिंह जे.



Scan this
QR Code to
Linking Laws BLOs



- याचिकाकर्ता के विद्वान वकील और ए.सी.बी. के विद्वान वकील को सुना।
- याचिकाकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 120बी, 467, 468, 471, 109, 409, 406 और धारा 13(2) के साथ पठित धारा 13(i) (क) के तहत दर्ज मामले के संबंध में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है। घ) भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम रांची में विद्वान विशेष न्यायाधीश, सतर्कता (एसीबी) की अदालत में लंबित है। याचिकाकर्ता राष्ट्रीय खेल संघ समिति का कोषाध्यक्ष है।
- अभियोजन का मामला सूचक श्री भोलानाथ सिंह की लिखित रिपोर्ट पर आधारित है जिसमें कहा गया है कि 34वें राष्ट्रीय खेलों में, याचिकाकर्ता सहित आरोपी व्यक्तियों ने अपने आधिकारिक पदों का दुरुपयोग करके सार्वजनिक निधि के दुरुपयोग और गबन के कई कार्य किए हैं। कई अन्य लोगों के साथ मिलीभगत और साजिश में भ्रष्ट आचरण। आरोप कुल मिलाकर यह है कि बिना निविदा आमंत्रित किये कार्यदिश आवंटित कर दिया गया और उसके एवज में कोई सुरक्षा राशि नहीं ली गयी।

88. A deposits a box of gold coins with B as his agent. He then writes to C for the purpose of making the gold coins security for a debt due from himself to C. A afterwards alleges that 'C's debt is satisfied and C alleges the contrary. Both claim the gold coins from B. B may Institute an Interpleader suit against. / क अपने अभिकर्ता के रूप में ख के पास सोने के सिक्कों का एक डिब्बा जमा करता है। इसके बाद वह ग को अपने द्वारा देय ऋण के लिए सोने के सिक्कों की सुरक्षा के लिए ग को पत्र लिखता है। क बाद में आरोप लगाता है कि 'ग' का ऋण संतुष्ट हो गया है और ग इसके विपरीत आरोप लगाता है। दोनों ख से सोने के सिक्कों का दावा करते हैं। ख के विरुद्ध अन्तराभिवाची वाद संस्थित कर सकता है

- A / क
- B / ख
- None / कोई नहीं
- A and C / क और ग

Ans.(d)

Linked Provisions:-

1. Section 88- Where interpleader suit may be instituted.

2. Order 35- Interpleader. Rules(1-6).

Explanation:- Rule 5 - Agents and tenants may not institute interpleader suits.

Nothing in the Order shall be deemed to enable agents to sue their principles, or tenants to sue their landlords, for the purpose of compelling them to interplead with any person other than persons making claim through such principals or landlords.

Illustrations- (b) A deposits a box of jewels with B as his agent. He then writes to C for the purpose of making the jewels a security for a debt due from himself to C. A afterwards alleges that C's debt is satisfied, and C alleges the contrary. Both claim the jewels from B. B may institute in interpleader-suit against A and C.

लिंकिंग प्रावधान :-

1. धारा 88- जहां अंतर्वादी वाद संस्थित किया जा सकेगा।

2. आदेश 35- प्रतिवादी। नियम(1-6).

स्पष्टीकरण:- नियम 5 - एजेंट और किरायेदार इंटरप्लीडर मुकदमा दायर नहीं कर सकते हैं।

आदेश में ऐसा कुछ भी नहीं माना जाएगा जो एजेंटों को उनके सिद्धांतों पर मुकदमा करने, या किरायेदारों को उनके मकान मालिकों पर मुकदमा करने में सक्षम बनाता है, ताकि उन्हें ऐसे प्रिंसिपलों या मकान मालिकों के माध्यम से दावा करने वाले व्यक्तियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ बातचीत करने के लिए मजबूर किया जा सके।

दृष्टांत- (बी) ए अपने एजेंट के रूप में बी के पास गहनों का एक बक्सा जमा करता है। फिर वह गहनों को सी को दिए गए ऋण के लिए सुरक्षा बनाने के उद्देश्य से सी को लिखता है। ए बाद में आरोप लगाता है कि सी का ऋण संतुष्ट हो गया है, और सी इसके विपरीत आरोप लगाता है। दोनों बी के गहनों पर दावा करते हैं। बी ए और सी के खिलाफ इंटरप्लीडर-मुकदमा दायर कर सकता है।

89. A foreign government. / एक विदेशी सरकार

- cannot be sued / वाद नहीं किया जा सकता
- can be sued without any restriction on the powers of civil courts / सिविल न्यायालयों की शक्तियों पर बिना किसी प्रतिबंध के वाद चलाया जा सकता है
- can be sued with the restriction that the oral consent of the Central Government is communicated to the court / इस प्रतिबंध के साथ वाद दायर किया जा सकता है कि केंद्र सरकार की मौखिक सम्मति न्यायालय को बताई जाए
- can be sued with the condition that the certificate of consent is issued by the secretary to the Central Government in writing. / इस शर्त पर वाद दायर किया जा सकता है कि सम्मति का प्रमाण पत्र केंद्र सरकार के सचिव द्वारा लिखित रूप में जारी किया गया हो।

Ans.(d)

Linked Provisions:-

1. Section 105- provides for reciprocal armaments to be made by Central Government with the foreign governments with regard to the service of summons / warrants/ judicial processes. (Cr.PC.)

2. Section 79- Suits by or against Government.

3. Section 86- Suits against foreign Rulers, Ambassadors and Envoys.

Explanation:Section 6- which specifies that no foreign state can be prosecuted in any court of law without the prior permission of the central government of the country (India).

the consent of the Centre along with the certification by the secretary of the state is important for the protection of the interests of the sovereign national, which can be stated in the case of **German Democratic Republic v New Central Jute Mills Co Ltd**.

लिंकिंग प्रावधान :-

1. धारा 105- सम्मन/वारंट/न्यायिक प्रक्रियाओं की सेवा के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा विदेशी सरकारों के साथ पारस्परिक शस्त्रीकरण का प्रावधान करती है। (Cr.PC)

2. धारा 79- सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध मुकदमा।

Linking Laws is a Professional Institute provide

AI based Smart Preparation for

Judicial Service Exams & other Law Related Exam in India

(UP PCS(J), RJS, MPCJ, CG PCS(J), DJS, BJS, APO, ADPO, JLO, APP etc.)



Scan this
QR Code to
Linking Laws BIOs



3. धारा 86- विदेशी शासकों, राजदूतों और दूतों के खिलाफ मुकदमा।
स्पष्टीकरण:- धारा 86 जो निर्दिष्ट करती है कि किसी भी विदेशी राज्य पर देश (भारत) की केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।

राज्य के सचिव द्वारा प्रमाणीकरण के साथ केंद्र की सहमति संप्रभु राष्ट्रीय के हितों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जिसे जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाम न्यू सेंट्रल जूट मिल्स कंपनी लिमिटेड के मामले में कहा जा सकता है।

90. A, a bank officer, go compulsorily retired in 2014. Since the bank authorities did not release the leave encashment in his favour, he filed writ petition WP 2001 (W) of 2017 in Ranchi High Court for the same and also for the interest on the unpaid amount. The writ petition was disposed of by a learned Single Judge in December, 2018 directing the bank release the privileged leave encashment benefits to the petitioner to the extent he was entitled to accordance with law within a certain period. The prayer for interest was not specifically denied by the court. The bank filed an appeal against the order. The Division Bench of Ranchi High Court in February, 2018 declined to admit the appeal. However, A files a writ petition again for direction to the bank to disburse interest to A at the rate of 18% per annum on leave encashment released by the bank. The petition is covered under which of the following? / क, एक बैंक अधिकारी, 2014 में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त हो गया। चूंकि बैंक अधिकारियों ने उसके पक्ष में अवकाश नकदीकरण जारी नहीं किया, उन्होंने इसके लिए और अवैतनिक राशि पर ब्याज के लिए रांची उच्च न्यायालय में 2017 की रिट याचिका WP 2001 (W) दायर की। दिसंबर 2018 में एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिका का निपटारा कर दिया गया और बैंक को याचिकाकर्ता को विशेषाधिकार प्राप्त अवकाश नकदीकरण लाभ जारी करने का निर्देश दिया गया, जिस सीमा तक वह एक निश्चित अवधि के भीतर विधि के अनुसार हकदार था। ब्याज की प्रार्थना को न्यायालय ने विशेष रूप से अस्वीकार नहीं किया था। बैंक ने आदेश के विरुद्ध अपील दायर की। फरवरी 2018 में रांची उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने अपील स्वीकार करने से इनकार कर दिया। हालांकि, क ने बैंक द्वारा जारी अवकाश नकदीकरण पर प्रति वर्ष 18% की दर से ब्याज देने के लिए बैंक को निर्देश देने के लिए फिर से एक रिट याचिका दायर की है। याचिका निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है?

- Section 11. CPC / धारा 11 सीपीसी
- Section 11. Expl. 5. CPC. / धारा 11 स्पष्टीकरण 5 सीपीसी
- Section 11. Expl. 4. CPC / धारा 11 स्पष्टीकरण 4 सीपीसी
- Order 2, Rule 2. CPC. / आदेश 2, नियम 2 सीपीसी

Ans.(b)

Linked Provisions:-

- Order 2 Rule 2 - Suit to include the whole claim.
- Section 11- Res judicata.

Explanation IV—Any matter which might and ought to have been made ground of defence or attack in

such former suit shall be deemed to have been a matter directly and substantially in issue in such suit.

Explanation V—Any relief claimed in the plaint, which is not expressly granted by the decree, shall for the purposes of this section, be deemed to have been refused.

लिंकिंग प्रावधान :-

- आदेश 2 नियम 2 - वाद के अंतर्गत संपूर्ण दावा होगा।
- धारा 11- पूर्व-न्याय।

स्पष्टीकरण IV - ऐसे किसी भी विषय के बारे में, जो ऐसे पूर्ववर्ती वाद में प्रतिरक्षा या आक्रमण का आधार बनाया जा सकता था और बनाया जाना चाहिए यह समझा जायेगा कि ए: ऐसे वाद में प्रत्यक्षतः सारतः विवाध्य रहा है।

स्पष्टीकरण V- वादपत्र में दावा की गया कोई अनुतोष, जो डिक्ली द्वारा अभिवैक्त रूप से नहीं दी गई है, इस धारा के प्रयोजनों के लिए, नामंजूर कर दिया गया समझा जायेगा।

91. On the reversal of decree, which Section imposes on obligation on the party to the suit who received an unjust benefit of the erroneous decree to make restitution to the other party for what he has lost? / डिक्ली के पलटने पर, कौन सी धारा वाद के उस पक्ष पर, जिसने गलत डिक्ली का अन्यायपूर्ण लाभ प्राप्त किया है, दूसरे पक्ष को उसकी हानि की भरपाई करने का दायित्व थोपती है?

- Section 141. CPC. / धारा 141 सीपीसी।
- Section 142. CPC / धारा 142 सीपीसी
- Section 143. CPC. / धारा 143 सीपीसी।
- Section 144. CPC. / धारा 144 सीपीसी।

Ans.(d)

Linked Provisions:- Doctrine of restitution.

Explanation:- Section 144- Application for restitution—Where and in so far as a decree or an order is varied or reversed in any appeal, revision or other proceeding or is set aside or modified in any suit instituted for the purpose, the Court which passed the decree or order shall, on the application of any party entitled to any benefit by way of restitution or otherwise, cause such restitution to be made as will, so far as may be, place the parties in the position which they would have occupied but for such decree or order or such part thereof as has been varied, reversed, set aside or modified; and for this purpose, the Court may make any orders, including orders for the refund of costs and for the payment of interest, damages, compensation and mesne profits, which are properly [consequential on such variation, reversal, setting aside or modification of the decree or order].

लिंकिंग प्रावधान :- पुनर्स्थापन का सिद्धांत.

स्पष्टीकरण:- धारा 144- क्षतिपूर्ति हेतु आवेदन-

जहां तक और जहां तक डिक्ली या आदेश को किसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही में बदल दिया जाता है या उलट दिया जाता है या इस उद्देश्य के लिए शुरू किए गए किसी मुकदमे में अलग कर दिया जाता है या संशोधित किया जाता है, तो डिक्ली या आदेश पारित करने वाला न्यायालय, पुनर्स्थापन के माध्यम से या अन्यथा किसी भी लाभ के हकदार किसी भी पक्ष के





आवेदन पर, ऐसा पुनर्स्थापन करवाएं जिससे, जहां तक हो सके, पार्टियों को उस स्थिति में रखा जा सके जिस पर वे ऐसे डिक्री या आदेश के बिना रहते या उसका ऐसा भाग जिसमें परिवर्तन किया गया हो, उलटा किया गया हो, अलग रखा गया हो या संशोधित किया गया हो; और इस उद्देश्य के लिए, न्यायालय कोई भी आदेश दे सकता है, जिसमें लागत की वापसी और ब्याज, क्षति, मुआवजे और मेसने मुनाफे के भुगतान के आदेश शामिल हैं, जो उचित रूप से [इस तरह के डिक्री या आदेश बदलाव, उलटफेर, अलग करने या संशोधन पर परिणामी हैं]।

92. Interveners are. / हस्तक्षेपकर्ता हैं।

- (a) entitled to be impleaded / पक्षकार बनाए जाने का हकदार है
- (b) not entitled to be impleaded / पक्षकार चलाने का हकदार नहीं है
- (c) a waste of time for the court / न्यायालय के समय की बर्बादी
- (d) a burden for the plaintiff / वादी के लिए एक भार

Ans.(b)

Linked Provisions:-

- 1. **Order I- Parties to the suits.**
- 2. **Rule 8-** One person may sue or defend on behalf of all in same interest
- 3. **Section 8A-** Power of Court to permit a person or body of persons to present opinion or to take part in the proceeding.

Explanation:- Order1 Rule 8A - Court can permit a person or group of persons to intervene in a suit if court is satisfied with the reason to intervene. Such a person can intervene even though he is not a party to the case. Or not entitled to be impleaded.

लिंकिंग प्रावधान :-

- 1. **आदेश I-** वादो के पक्षकार ।
- 2. **नियम 8-** एक ही हित में सभी व्यक्ति की ओर से एक व्यक्ति वाद ला सकेगा प्रतिरक्षा कर सकेगा ।
- 3. **धारा 8A -** न्यायालय की कार्यवाही में राय देने के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय का अनुज्ञात करने की शक्ति

स्पष्टीकरण: आदेश1 नियम 8A- न्यायालय किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को किसी मुकदमे में हस्तक्षेप करने की अनुमति दे सकता है यदि न्यायालय हस्तक्षेप करने के कारण से संतुष्ट है। ऐसा व्यक्ति मामले में पक्षकार न होते हुए भी हस्तक्षेप कर सकता है। अथवा पक्षकार बनाये जाने का हकदार नहीं है।

93. Suit for recovery of money in promissory notes can be filed. / वचन पत्र में धन की वसूली के लिए वाद दायर किया जा सकता है।

- (a) under normal procedure / सामान्य प्रक्रिया के तहत
- (b) under summary procedure as laid down in Order 37,CPC./आदेश 37, सीपीसी में निर्धारित संक्षिप्त प्रक्रिया के तहत।
- (c) in the High Court / उच्च न्यायालय में
- (d) as a writ petition / एक रिट याचिका के रूप में

Ans.(b)

Linked Provisions:-

- 1. **Promissory Notes** defined section 4 (NI)

2. Order 4 - instituted of suit.

Explanation:- Subject to the provisions of sub-rule (1), the Order applies to the following classes of suits, namely:-

- a) Suits upon bills of exchange, hundies and Promissory notes:
- b) Suits in which the plaintiff seeks only to recover a debt or liquidated demand in money payable by the defendant, with or without interest, arising,-
 - i) On a written contract, or
 - ii) On an enactment, where the sum sought to be recovered is a fixed sum of money or in the nature of a debt other than a penalty; or
 - iii) On a guarantee, Where the claim against the principal is in respect of a debt or liquidated demand only.

लिंकिंग प्रावधान :-

- 1. **धारा 4** को परिभाषित करते हैं।(NI)

- 2. **आदेश 4 -** मुकदमा संस्थित किया गया।

स्पष्टीकरण:-उप-नियम (1) के प्रावधानों के अधीन, आदेश निम्नलिखित वर्गों के मुकदमों पर लागू होता है, अर्थात्:-

- क) विनिमय बिलों, हुंडियों और प्रॉमिसरी नोटों पर मुकदमा:
- ख) ऐसे मुकदमे जिनमें वादी केवल प्रतिवादी द्वारा देय ऋण या धन की परिसमाप्त मांग की वसूली करना चाहता है, ब्याज सहित या उसके बिना,-
 - i) एक लिखित अनुबंध पर, या
 - ii) किसी अधिनियम पर, जहां वसूल की जाने वाली राशि एक निश्चित राशि है या दंड के अलावा ऋण की प्रकृति में है; या
 - iii) गारंटी पर, जहां मूलधन के विरुद्ध दावा केवल ऋण या परिसमाप्त मांग के संबंध में है।

94. Inherent powers of the Civil Court are exercised. / सिविल न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया जाता है

- (a) to make such orders as may for the ends of justice. /न्याय के उद्देश्य के लिए ऐसे आदेश देना।
- (b) to make such orders as may necessary to prevent abuse of the process of the court / ऐसे आदेश देना जो न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक हों
- (c) Both (A) & (B) / दोनों (ए) और (बी)
- (d) None of the above./ उपरोक्त में से कोई नहीं।

Ans.(c)

Linked Provisions:- These sections outline how the court's inherent powers can be exercised in various situations. Here's a breakdown of the provisions related to the inherent powers of the courts:

- 1. **Section 148 and Section 149-** These sections deal with the granting or extension of time.
- 2. **Section 150 -** This section addresses the transfer of business from one court to another.
- 3. **Section 151-** Savings the inherent powers of the courts.
- 4. **Section 152, Section 153 and Section 153A:** These sections cover the modification of

Linking Laws is a Professional Institute provide AI based Smart Preparation for

Judicial Service Exams & other Law Related Exam in India

(UP PCS(J), RJS, MPCJ, CG PCS(J), DJS, BJS, APO, ADPO, JLO, APP etc.)



Scan this QR Code to Linking Laws BIOs



judgments, decrees, or orders, as well as separate proceedings.

Explanation:- Section 151- Saving of inherent powers of Court—Nothing in this Code shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of the Court to make such orders as may be necessary for the ends of justice or to prevent abuse of the process of the Court.

लिंकिंग प्रावधान :- ये धाराएँ बताती हैं कि विभिन्न स्थितियों में न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग कैसे किया जा सकता है। यहां न्यायालयों की अंतर्निहित शक्तियों से संबंधित प्रावधानों का विवरण दिया गया है:

1. **धारा 148-** और **धारा 149-** ये धाराएँ समय देने या बढ़ाने से संबंधित हैं।
2. **धारा 150-** यह धारा व्यवसाय के एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरण को संबोधित करती है।
3. **धारा 151-** न्यायालयों की अंतर्निहित शक्तियों को बचाना।
4. **धारा 152, धारा 153 और धारा 153A :** ये धाराएँ निर्णयों, डिक्री या आदेशों के संशोधन के साथ-साथ अलग-अलग कार्यवाहियों को कवर करती हैं।

स्पष्टीकरण:- धारा 151- न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की व्याप्ति -इस संहिता के किसी बात के बारे में वह नहीं समझा जायेगा की ऐसे आदेशों के देने की न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति को परिसीमित या अन्यथा प्रभावित करती है, जो न्यायालय की आदेशिका के दुरुपयोग का निवारण करने के लिए आवश्यक है।

95. **In the case of public nuisance, a suit for declaration and injunction may be instituted by / लोक न्यूसेंस के मामले में, घोषणा और व्यादेश के लिए वाद संस्थित किया जा सकता है**

- (a) two persons with the leave of the court / न्यायालय की अनुमति से दो व्यक्ति
- (b) two persons having obtained oral consent of the Advocate General. / दो व्यक्तियों ने महाधिवक्ता की मौखिक सम्मति प्राप्त की है।
- (c) two persons have obtained the written consent of the Advocate General and with the leave of the court. / दो व्यक्तियों ने महाधिवक्ता की लिखित सम्मति और न्यायालय की अनुमति से प्राप्त की है।
- (d) two persons to whom no special damage has been caused by persons of such public nuisance. / दो व्यक्ति जिन्हें ऐसे लोक न्यूसेंस के व्यक्तियों द्वारा कोई विशेष क्षति नहीं हुई है।

Ans.(a)

Linked Provisions:-

1. **Section 268-** Public nuisance.(IPC)
2. **Section 133** is a specific provision that deals with offences pertaining to public nuisance.
3. **Section 144** is a general provision and is used to keep a check on the presence or formation of unlawful assemblies that can be a danger to public tranquillity and human life. (CrPC)

Explanation:- Section 91- Public nuisances and other wrongful acts affecting the public—

- (1)(a) by the Advocate-General,

- (b) with the leave of the Court, by two or more persons, even though no special damage has been caused to such persons by reason of such public nuisance or other wrongful act.

- (2) Nothing in this section shall be deemed to limit or otherwise affect any right of suit which may exist independently of its provisions.

लिंकिंग प्रावधान :-

1. **धारा 268-** लोक उपद्रव। (IPC)
2. **धारा 133-** एक विशिष्ट प्रावधान है जो लोक उपद्रव से संबंधित अपराधों से संबंधित है।
3. **धारा 144-** एक सामान्य प्रावधान है और इसका उपयोग गैरकानूनी सभाओं की उपस्थिति या गठन पर नज़र रखने के लिए किया जाता है जो लोक शांति और मानव जीवन के लिए खतरा हो सकते हैं। (CrPC)

स्पष्टीकरण:- धारा 91- लोक न्यूसेंस और लोक पर प्रभाव डालने वाले अन्य दोषपूर्ण कार्य -

- (1) (a) महाधिवक्ता द्वारा,
(b) दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा, भले ही ऐसे लोक न्यूसेंस या अन्य गलत कार्य के कारण ऐसे व्यक्तियों को कोई विशेष नुक्सान न होने पर भी न्यायालय की अनुमति से, सम्बंधित किया जा सकेगा।
- (2) इस धारा में किसी भी बात को वाद के किसी भी अधिकार को परिसीमित करने वाली या उस पर अन्यथा प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जायेगी, जिसका अस्तित्व इसके उपबंधों से स्वातंत्र्य है।

96. **Section 20 of CPC does not apply to / सीपीसी की धारा 20 लागू नहीं होती**

- (a) arbitration proceedings / मध्यस्थता कार्यवाही
- (b) Civil proceedings / सिविल कार्यवाही
- (c) Both (a) and (b) / दोनों (ए) और (बी)
- (d) Neither (a) nor (b) / न तो (ए) और न ही (बी)

Ans.(a)

Linked Provisions:-

1. **Section 17-** Suits for immovable property situate within jurisdiction of different courts.
2. **Section 18-** Place of institution of suit where local limits of jurisdiction of courts are uncertain.

Explanation:- Section 20

Other suits to be instituted where defendants reside or cause of action arises-

Subject to the limitations aforesaid, every suit shall be instituted in a Court within the local limits of whose jurisdiction

- (a) the defendant, or each of the defendants where there are more than one, at the time of the commencement of the suit, actually and voluntarily resides, or carries on business, or personally works for gain; or
- (b) any of the defendants, where there are more than one, at the time of the commencement of the suit, actually and voluntarily resides, or carries on business, or personally works for gain, provided that in such case either the leave of the Court is





given, or the defendants who do not reside, or carry on business, or personally works for gain, as aforesaid, acquiesce in such institution; or

(c) The cause of action, wholly or in part, arises.

लिंकिंग प्रावधान :-

- धारा 17-** अचल संपत्ति के मुकदमे विभिन्न न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
- धारा 18-** वाद संस्थित करने का स्थान जहां न्यायालयों के क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाएं अनिश्चित हों।

स्पष्टीकरण:- धारा 20

अन्य मुकदमे वहां संस्थित किए जाएंगे जहां प्रतिवादी निवास करते हैं या कार्यवाई का कारण उत्पन्न होता है-

उपरोक्त सीमाओं के अधीन, प्रत्येक मुकदमा उस न्यायालय में स्थापित किया जाएगा जिसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा के भीतर

(ए) प्रतिवादी, या प्रत्येक प्रतिवादी जहां एक से अधिक हैं, मुकदमा शुरू होने के समय, वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है, या व्यवसाय करता है, या लाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से काम करता है; या

(बी) प्रतिवादियों में से कोई भी, जहां एक से अधिक हैं, मुकदमा शुरू होने के समय, वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है, या व्यवसाय करता है, या लाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से काम करता है, बशर्ते कि ऐसे मामले में या तो छुट्टी हो न्यायालय को दिया गया है, या प्रतिवादी जो पूर्वोक्त रूप से निवास नहीं करते हैं, या व्यवसाय नहीं करते हैं, या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करते हैं, ऐसी संस्था में शामिल होते हैं; या

(ग) कार्य का कारण, पूर्णतः या आंशिक रूप से, उत्पन्न होता है।

97. 'Pleading can be altered or amended /'याचिका को बदला या संशोधित किया जा सकता है

- under Order VI. Rule 9, CPC. / आदेश VI के तहत। नियम 9, सीपीसी
- under Order VI, Rule 10, CPC. / आदेश VI, नियम 10, सीपीसी के तहत।
- under Order VI, Rule 16, CPC. / आदेश VI, नियम 16, सीपीसी के तहत।
- under Order VI, Rule 17, CPC. / आदेश VI, नियम 17, सीपीसी के तहत।

Ans.(d)

Linked Provisions:-

- Order VI – Rule (1-18) -Pleadings Generally.**
- Rule 9-** Effect of document to be stated.
- Rule 10-** Malice, knowledge.
- Rule 16-** Striking out pleadings

Explanation:- Rule 17- Amendment of pleadings—

The Court may at any stage of the proceedings allow either party to alter or amend his pleadings in such manner and on such terms as may be just, and all such amendments shall be made as may be necessary for the purpose of determining the real questions in controversy between the parties.

लिंकिंग प्रावधान:-

- आदेश VI - नियम (1-18) - अभिवचन साधारणतः।**
- नियम 9-** दस्तावेज का प्रभाव का कथन किया जाना।
- नियम 10-** द्वेष, ज्ञान।
- नियम 16-** अभिवचनों का काट दिया जाना।

स्पष्टीकरण:- नियम 17- अभिवचनों में संशोधन- न्यायालय कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर, किसी भी पक्षकार को, ऐसे रीती से ऐसे निबंधों पर, जो न्यायसंगत हो, अपने अभिवचनों को परिवर्तित या संशोधित करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा और वे सभी संशोधन किये जाएंगे जो दोनों पक्षकारों के बीच विवाद के वास्तविक प्रश्नों के अवधारणा के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों।

98. A defendant can pray to the court for rejection of a plaint / एक प्रतिवादी किसी वाद को अस्वीकार करने के लिए न्यायालय से प्रार्थना कर सकता है

- if the stamp writing is not clear. / यदि स्टाम्प लेखन स्पष्ट नहीं है।
- if it is barred by another enactment of the Parliament / यदि यह संसद के किसी अन्य अधिनियम द्वारा वर्जित है
- if the plaint is made in a foreign language. / यदि वादपत्र किसी विदेशी भाषा में की गई है।
- None of the above. / उपरोक्त में से कोई नहीं।

Ans.(b)

Explanation:- Order VII- Rule 11 Rejection of plaint

- Where it does not disclose a cause of action,
- the Court to correct the valuation within a time to be fixed by the Court, fails to do so,
- Relief has been stated in the Plaint clearly but the paper on which the plaint is written is not properly stamped.
- the statement in the plaint to be barred by any law,
- where it is not filed in duplicate,
- where the plaintiff fails to comply with the provisions of rule 9.

स्पष्टीकरण:- आदेश VII- नियम 11 वाद पत्र का नामंजूर किया जाना

- जहां यह कार्यवाई के कारण का खुलासा नहीं करता है,
- न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर मूल्यांकन को सही करने के लिए न्यायालय, ऐसा करने में विफल रहता है,
- वादपत्र में स्पष्ट रूप से राहत की बात कही गई है लेकिन जिस कागज पर वादपत्र लिखा गया है उस पर उचित मुहर नहीं लगी है।
- वादपत्र में दिया गया बयान किसी भी कानून द्वारा वर्जित है,
- जहां इसे दो प्रतियों में दाखिल नहीं किया गया है,
- जहां वादी नियम 9 के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहता है।

99. Where the local limits of jurisdiction of courts are uncertain, the place of institution of suit shall be decided according to / जहां न्यायालयों के क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाएं अनिश्चित हों, वहां वाद संस्थित करने का स्थान इसके अनुसार तय किया जाएगा

- Section 17. CPC / धारा 17 सीपीसी
- Section 18. CPC / धारा 18 सीपीसी
- Section 19. CPC / धारा 19 सीपीसी
- Section 20. CPC / धारा 20 सीपीसी

Ans.(b)

Linked Provisions:-

Linking Laws is a Professional Institute provide

AI based Smart Preparation for

Judicial Service Exams & other Law Related Exam in India

(UP PCS(J), RJS, MPCJ, CG PCS(J), DJS, BJS, APO, ADPO, JLO, APP etc.)



Scan this
QR Code to
Linking Laws BLOs



1. **Section 14** -Local Jurisdiction of Judicial Magistrate. CrPC
2. **Section 7**- Suits for immovable property situate within jurisdiction of different Courts.
3. **Section 19**- Suits for compensation for wrongs to person or movables.
4. **Section 20**- Other suits to be instituted where defendants reside or cause of action arises.

Explanation:- Section 18- Place of Institution of suit where local limits of jurisdiction of Courts are uncertain.

Provided that the suit is one with respect to which the Court is competent as regards the nature and value of the suit to exercise jurisdiction.

लिंकिंग प्रावधान :-

1. **धारा 14**- न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानीय क्षेत्राधिकार। CrPC
2. **धारा 17**- विभिन्न न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर स्थिति स्थावर सम्पत्ति के लिए वाद ।
3. **धारा 19**- शरीर या जंगम सम्पत्ति के प्रति किये गए दोषों के लिए प्रतिकार के लिए वाद ।
4. **धारा 20**- अन्य वाद जहां संस्थित किए जाएंगे जहां प्रतिवादी निवास करते हैं जहां वाद हेतुक पैदा होता है ।

स्पष्टीकरण:- धारा 18- जहाँ न्यायालयों के क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाएँ अनिश्चित हैं वहाँ वाद के संस्थित किये जाने का स्थान ।

बशर्ते कि मुकदमा ऐसा हो जिसके संबंध में न्यायालय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए मुकदमे की प्रकृति और मूल्य के संबंध में संक्षम है।

1. **धारा 43**- जिन स्थानों पर जहां इस संहिता का विस्तार नहीं है, वहां के सिविल न्यायालय द्वारा पारित डिक्रीयों का निष्पादन ।
2. **धारा 44**- जिन स्थानों पर जहां इस संहिता का विस्तार नहीं है। वहां के राजस्व न्यायालयों द्वारा पारित डिक्रीयों का निष्पादन
3. **धारा 44A** - व्याप्तिकारी राज्यक्षेत्रों में न्यायालयों द्वारा पारित डिक्रीयों का निष्पादन।
4. **धारा 45**- भारत के बाहर डिक्रीयों का निष्पादन।

स्पष्टीकरण:- भरण-पोषण के लिए डिक्रीयों का निष्पादन, वेतन की राशि चाहे कुछ भी हो, वेतन का केवल एक तिहाई हिस्सा ही कुर्की से मुक्त होगा। भरण-पोषण की डिक्री के अलावा अन्य डिक्री के निष्पादन में पहले सौ रुपये तक का वेतन और शेष का आधा हिस्सा कुर्की से मुक्त होगा।

100. In the execution of a decree for the maintenance, salary of a person can be attached to the extent of / भरण-पोषण के लिए डिक्री के निष्पादन में किसी व्यक्ति का वेतन कितना जोड़ा जा सकता है

- (a) 1/4th / 1/4
- (b) 1/3rd / 1/3
- (c) 2/3rd / 2/3
- (d) 1/2th / 1/2वाँ

Ans. (b)

Linked Provisions:-

1. **Section 43**- Execution of decrees passed by Civil Courts in places to which this Code does not extend.
2. **Section 44**- Execution of decrees passed by Revenue Courts in places to which this Code does not extend.
3. **Section 44A**- Execution of decrees passed by Courts in reciprocating territory.
4. **Section 45**- Execution of decrees outside India.

Explanation:- Execution of decrees for maintenance only one third of the salary would be exempt from attachment irrespective of the amount of the salary. In execution of decrees other than decrees for maintenance salary to the extent of first hundred rupees and one half of the remainder shall be exempt from attachment.

लिंकिंग प्रावधान :-



Scan this
QR Code to
Linking Laws BIODs